idara

मुस्लिम ख़वातीन के लिए बीस सबक़

मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलन्दशहरी (रह0)

मुस्लिम ख़्वातीन के लिए बीस सबक़

Maktab Ashraf

मुस्लिम ख़्वातीन के लिए बीस सबक़

मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलन्दशहरी (रह०)

Maktaba Ashraf

© इदारा

इस पुस्तक की नक़ल करने या छापने के उद्देश्य से किसी पृष्ठ या शब्द का प्रयोग करने, रिकॉर्डिंग, फोटो कॉपी करने या इसमें दी हुई किसी भी जानकारी को एकत्रित करने के लिए प्रकाशक की लिखित अनुमति आवश्यक है।

पुस्तक का नाम : मुस्लिम ख़वातीन के लिए बीस सबक़

Muslim Khavatin' ke Liye Bees Sabaq

लेखक : मौलाना मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलन्दशहरी (रह०)

अनुवादक : अहमद नदीम नदवी

ISBN: 81-7101-423-2

Edition: 2012

TP-138-12

Published by Mohammad Yunus for

IDARA IMPEX

D-80, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar

New Delhi-110 025 (India)

Tel.: 2695 6832 Fax: +91-11-6617 3545

Email: **sales@idaraimpex.com**

Visit us at: **www.idarastore.com**

Designed & Printed in India

Typesetted at: **DTP Division**

IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT

P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
दो शब्द	7
पहला सबक़ : कलिमा तैयिबा	**9-14**
कलिमा तैयिबा का मतलब	10
कलिमा तैयिबा की मांग	12
कलिमा तैयिबा का इनाम	13
ला इला-ह इल्लल्लाहु का विर्द	13
दूसरा सबक़ : नमाज़	**15-22**
नमाज़ की फ़ज़ीलत और ताकीद	16
सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा	18
बे-वक़्त नमाज़ पढ़ना	18
एक नमाज़ की क़ीमत	19
नमाज़ की चोरी	19
दीने इस्लाम में नमाज़ का दर्जा	19
बच्चों को नमाज़ पढ़ाना मां-बाप के ज़िम्मे है	20
ज़रूरी तंबीह	20
नफ़्ली नमाज़ों का बडा सवाब है	20
तहीयतुल वुज़ू	21

Maktab Ashraf

विषय	पृष्ठ
इशराक़ की नमाज़	21
अव्वाबीन की नमाज़	22
तहज्जुद की नमाज़	22
तीसरा सबक़ : ज़कात	**23-34**
ख़ुदा की पनाह	24
ज़कात से माल का शर दूर हो जाता है	25
ज़कात रोकने से अकाल पड़ता है	25
ज़कात रोकने से माल तलफ़ हो जाता है	26
ज़कात किस पर फ़र्ज़ है?	26
ज़रूरी तंबीह	30
नफ़्ली सदक़ा	31
चौथा सबक़ : बैतुल्लाह का हज	**35-38**
हज की फ़ज़ीलत	35
हज किस पर फ़र्ज़ है?	36
मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत	38
पांचवां सबक़ : रमज़ान शरीफ़ के रोज़े	**39-45**
नफ़्ली रोज़े	43
छठा सबक़ : दीन का सीखना और सिखाना	**46-48**
ज़ुबानी तालीम	47
सातवां सबक़ : बच्चों की तालीम व तर्बियत	**49-55**

विषय पृष्ठ

आठवां सबक़ : अल्लाह का ज़िक्र 56-60
कुछ सूरतों की ख़ास फ़ज़ीलतें 59
नवां सबक़ : हुक़ूक़ुल इबाद 61-64
दसवां सबक़ : ख़िदमते ख़ल्क़ (जन-सेवा) और राहत पहुंचाना 65-67
ग्यारहवां सबक़ : मां-बाप के हक़ और उनकी ख़िदमत 68-69
बारहवां सबक़ : शौहर के हक़ 70-72
शौहर की नाशुक्री 71
तेरहवां सबक़ : पड़ोसी के हक़ 73-74
चौदहवां सबक़ : नीयत में इख़्लास 75-77
पन्द्रहवां सबक़ : ज़ुबान की हिफ़ाज़त 78-82
झूठ का वबाल 79
ग़ीबत का गुनाह 80
सोलहवां सबक़ : हलाल रोज़ी 83-85
हराम खाने की वजह से दुआ क़ुबूल नहीं होती 83
नमाज़ क़ुबूल न होना 84
सदक़ा क़ुबूल न होना 84
सतरहवां सबक़ : लिबास और ज़ेवर 86-91
ज़ेवर 89
अठारहवां सबक़ : परदा 92-101

विषय	पृष्ठ
औरतें भी मर्दों को न देखें	93
ऐसी जगह खड़ी न हो, जहां उसे कोई देख सके	94
पीर से भी परदा है	97
औरत को घर के अन्दर रहना चाहिए	99
जेठ-देवर से ख़ास तौर पर पर्दे की ताकीद	99
उन्नीसवां सबक़ : रहन-सहन की इस्लाह	**102-111**
नाविल और अफ़साने	102
रेडियो, ग्रामोफ़ोन	103
थिएटर और सिनेमा	105
फ़िज़ूलख़र्ची	107
बीसवां सबक़ : नेकियों का फैलाना और गुनाहों से रोकना	**112-115**
अमल के लिए मुख़्तसर याददाश्त	**116-119**
दो बातें बहुत काम की	**120-121**
तौबा	120

दो शब्द

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ   نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

अम्मा बाद! इस्लाम सारे इंसानों के लिए ख़ुदावन्दे आलम का भेजा हुआ और पसन्द किया हुआ दीन है जिसमें तमाम मर्दों और औरतों के लिए ऐसे मुकम्मल अह्काम व आमाल मौजूद हैं, जिन पर अमल करना दुनिया व आख़िरत की कामियाबी का अकेला ज़रिया है और चूंकि अमल बग़ैर इल्म के नहीं हो सकता, इसलिए उम्मत के उलमा ने किताबों और वाज़ों और तक़रीरों और किताबें लिखने, तैयार करने, साथ ही मक्तबों और मदरसों के ज़रिए जिस तरह भी बन पड़ा, मेहनत और कोशिश करके इल्मे दीन को बाक़ी रखा। फ़-जज़ाहुमुल्लाहु तआला अह्सनल जज़ाअ०

فَجَزَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحْسَنَ الْجَزَاءِ

दीन के अलग-अलग शोबों की तालीम व तब्लीग़ के लिए बहुत-सी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें बहुत-सी ऐसी भी हैं जो सिर्फ़ औरतों से मुताल्लिक़ हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए ही लिखी गई हैं। यह किताब भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसे नाचीज़ ने सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक़ और मदद से अपने एक मुख़्लिस दोस्त की फ़रमाइश पर लिखा है। भाषा आसान और सादा रखने की कोशिश की है। बहुत-सी जगह अपने बड़ों की किताबों और ख़ुद अपनी किताबों से चीज़ें ली हैं। पूरी किताब में 20 सबक़ हैं। समझाने-बुझाने और उभारने के लिए मिश्कात शरीफ़ और हाफ़िज़ मुन्ज़री रह० की मशहूर किताब

'अत-तर्ग़ीब वत-तर्हीब' से चुने हुए हिस्से लेकर हर मज़्मून के बारे में हदीसों का तर्जुमा मज़्मून का हिस्सा बना दिया है। कुछ रिवायतों को छोड़कर (जिनका हवाला दे दिया गया है) तमाम हदीसें इन्हीं दो किताबों से लेकर दर्ज की हैं।

चूंकि किताब ख़ास तौर पर औरतों और बच्चियों के लिए लिखी गई है (अगरचे फ़ायदेमंद सभी के लिए हैं) इसलिए कुछ जगहों पर स्त्रीलिंग में बात हुई है और बयान करने का तरीक़ा भी ऐसा ही अपनाया गया है जो औरतों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जिससे औरतें यह समझ सकें कि यह बात हमसे कही जा रही है। औरतों की बढ़ती हुई ग़फ़लत और दीन से लापरवाही, जो आम हो रही है, उसकी रोकथाम के लिए इस किताब को लेकर घर-घर पहुंचाना और घरों में तालीमी हलक़े क़ायम क़रके औरतों को सुनाना बेहद ज़रूरी है। यों तो इस किताब के सारे मज़्मून अहम हैं, लेकिन ख़ुसूसियत के साथ नमाज़, ज़कात और दीन सीखना-सिखाना, बच्चों को दीनी तर्बियत देना और अल्लाह की याद में लगे रहना और लिबास व ज़ेवर, साथ ही परदा और समाज-सुधार वाले सबक़ बड़े अहम हैं। जिन इदारों और अंजुमनों के तहत ऐसे स्कूल या मक्तब या मदरसे हैं, जिनमें मुसलमान बच्चियां तालीम हासिल करती हैं, अगर इस किताब को कोर्स में दाख़िल करके आम कर दें और हर घर में पहुंचा दें तो बड़े सवाब के हक़दार होंगे। पढ़ने वालों से दरख़्वास्त है कि नाचीज़ बन्दे और उसके दीनी भाई जिनकी फ़रमाइश पर यह रिसाला लिखा गया है उसके मां-बाप को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।

—मुहम्मद आशिक़ इलाही बुलन्दशहरी अफ़ल्लाहु अन्हु,

ज़िलहिज्जा 1374 हि०

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ   نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

कलिमा तैयिबा

ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

यह कलिमा बन्दे की तरफ़ से एक इक़रार है यानी बन्दा इसको पढ़कर अपने रब से इक़रार करता है कि ऐ अल्लाह! मैं तेरा बन्दा और गुलाम हूं, तेरे हुक्मों पर चलूंगा और जिन चीज़ों से मना किया है, उससे बचूंगा। इस कलिमे के बारे में तीन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है–

एक यह कि इसके लफ़्ज सही याद हों, और तर्जुमा मालूम हो,

दूसरे इसके मतलब का इल्म होना,

तीसरे इसके मुतालबे और तक़ाज़े को हर वक़्त और हर हालत में पूरा करना।

बहुत से लोग नाम के मुसलमान हैं, उनको कलिमे के लफ़्ज़ भी सही याद नहीं और तर्जुमे और मतलब की भी ख़बर नहीं और कलिमे के तक़ाजे और मुतालबे को भी नहीं जानते, ऐसे लोगों को इन चीज़ों की जानकारी दो।

'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह०' ये कलिमा तैयबा के लफ़्ज़ हैं। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

तर्जुमा—'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं।'

कलिमा तैयिबा का मतलब

अल्लाह के माबूद होने का मतलब यह है कि सिर्फ़ उसी की बन्दगी करे और बन्दगी के जो तरीक़े उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अपनी किताब के ज़रिए बताए हैं, (यानी नमाज़, रोज़ा, क़ुर्बानी, हज, ज़कात वग़ैरह) इसमें किसी को उसका शरीक न करे, उसी को ज़रूरतें पूरी करने वाला, मुश्किलें दूर करने वाला, निगहबान, मददगार, हर जगह हाज़िर व नाज़िर और हर ज़ोर की बात और धीमी बात का सुनने वाला माने और यह भी यक़ीन करे कि वह हर ज़ाहिर और छिपी हुई चीज़ को जानता है, वही नफ़ा और नुक़्सान पहुंचाने वाला है, उसी की हिदायत हक़ है, उसी के हुक्म अमल के क़ाबिल हैं, दुनिया वालों ने जो रस्म व रिवाज और क़ानून ख़ुदा के हुक्मों के ख़िलाफ़ निकाल रखे हैं, सब बातिल और झूठ हैं।

हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अल्लाह का रसूल मानने का यह मतलब है कि जब ला इला-ह इल्लल्लाहु का इक़रार करके बन्दे ने अल्लाह के हुक्मों पर चलना फ़र्ज़ कर लिया तो इन हुक्मों का जानना भी फ़र्ज़ और ज़रूरी है

और चूंकि अल्लाह का हुक्म ख़ुद-ब-ख़ुद नहीं मालूम हो सकता, बल्कि ख़ुदा के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रहबरी से बन्दों तक अल्लाह के हुक्म पहुंचे हैं, इसलिए हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह एतक़ाद रखना फ़र्ज़ है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके बाद क़ियामत तक कोई रसूल ख़ुदा की तरफ़ से नहीं आएगा। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लाए हुए हुक्मों और बताए हुए तरीक़ों पर चलकर ख़ुदा की बन्दगी करना फ़र्ज़ है। हज़रत रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह अक़ीदा रखे कि वह अल्लाह के बन्दे और सच्चे रसूल हैं। उन्होंने अपने पास से कोई बात नहीं बताई। उनकी फ़रमांबरदारी अल्लाह की फ़रमांबरदारी है। उनसे मुहब्बत रखना ख़ुदा से ही मुहब्बत रखना है। आपकी बात का मानना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। आपके हुक्म को बिना चूं व चरा तस्लीम करे, आपने जो ग़ैब की बातें बताई हैं, उन पर ईमान लावे, जैसे तक़्दीर पर, फ़रिश्तों पर, दोज़ख़ पर और जन्नत पर, क़ब्र के हालात पर, क़ियामत होने पर, अगरचे ये बातें समझ में भी न आती हों, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में यह अक़ीदा भी रखे कि आपने जो तरीक़ा बताया है और ख़ुद उस पर पूरी तरह अमल करके दिखाया है, वही हक़ और अल्लाह का पसन्दीदा है। उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुज़ारने वाला और अल्लाह का महबूब और सीधी राह पर चलने वाला हरगिज़ नहीं हो सकता।

जो आदमी अल्लाह और रसूल पर ईमान न रखे या अल्लाह को माने मगर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़ुदा की तरफ़ से पैग़ाम लाने वाला न माने और आपके ज़िंदगी गुज़ारने के तरीक़े को ग़लत समझे, न वह मुसलमान है, न उसका दीन इस्लाम है, आजकल बहुत-से मर्द-औरत और स्कूल-कालेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां ईसाइयों और हिन्दुओं और बद-दीनों की सोहबत में रहकर इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ बोलने लगते हैं और दूसरे तरीक़ों और नज़रियों को इस्लाम से अच्छा समझने लगते हैं और शिर्किया अक़ीदों और ग़लत ख़्यालों में फंस जाते हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, अगरचे उनका नाम मुसलमानों जैसा हो और अगरचे उनके मां-बाप मुसलमान हों।

कलिमा तैयिबा की मांग

कलिमा के मतलब को दिल से मानने के बाद बन्दा मोमिन हो जाता है और उसके ज़िम्मे अनगिनत चीज़ों का करना और अनगिनत का छोड़ना लाज़िम और फ़र्ज़ हो जाता है। हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है, ला इला-ह इल्लल्लाहु का इख़्लास, यानी उसको ठीक तरह पढ़ना, यह है कि यह कलिमा अपने पढ़ने वालों को अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से रोक देवे, इसलिए इस कलिमे के पढ़ने वाले और अपने को मुसलमान समझने वाले को हर मौक़े पर अल्लाह के हुक्मों पर चलने का ध्यान रखना लाज़िम है। ब्याह-शादी, मरने-जीने, खाने-पीने,

सोने-जागने, ख़रीदने-बेचने, लेने-देने, कमाने और ख़र्च करने, हुकूमत चलाने और मुलाज़मत करने और दूसरे तमाम मौक़ों और हालतों में ख़ुदा के हुक्मों को मालूम करे और उन पर चले। अल्लाह की तरफ़ से जिन कामों के करने का हुक्म हुआ है, उनको हर हाल में करे और बन्दगी की डयुटी अंजाम दे और ख़ुदा की तरफ़ से जिन कामों के करने से रोका गया है, उनसे रुक जाए।

कलिमा तैयिबा का इनाम

जो मर्द और औरत सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० को मान लेते हैं और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए अक़ीदों और ज़िंदगी गुज़ारने के तरीक़ों का हक़ होना मान लेते हैं, अल्लाह ने उनके मरने के बाद उनको अच्छे हाल में रखने और जन्नत इनायत फ़रमाने का वायदा फ़रमाया है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, उसके रसूल पर ईमान नहीं रखते, क़ियामत और दोज़ख़-जन्नत पर अक़ीदा नहीं रखते, उनके लिए ख़ुदा ने दोज़ख़ तैयार फ़रमाया है जो बहुत बुरी जगह है, उसमें उनको हमेशा रहना होगा।

ला इला-ह इल्लल्लाहु का विर्द

ला इला-ह इल्लल्लाहु का विर्द रखना बड़ा सवाब है। हदीसों में आया है कि फ़ख़्रे आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ला इला-ह इल्लल्लाहु के ज़रिए ईमान ताज़ा किया करो और यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इला-ह इल्लल्लाहु है और यह

भी इर्शाद फ़रमाया है कि सौ बार ला इला-ह इल्लल्लाहु पढ़ लिया करो, क्योंकि वह कोई गुनाह नहीं छोड़ता और कोई अमल उससे आगे नहीं बढ़ता।

Maktab Ashraf

दूसरा सबक़

नमाज़

इर्शाद फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गई है–

एक, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं,

दूसरे, नमाज़ क़ायम करना,

तीसरे, ज़कात देना,

चौथे, हज करना,

पांचवें, रमज़ान के रोज़े रखना।

इन पांचों चीज़ों में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक कलिमा के मज़्मून और उसके मतलब की गवाही देने का ज़िक्र फ़रमाया है और इसके बाद दूसरे नम्बर पर नमाज़ को रखा है, इसीलिए हम भी कलिमा तैयबा के बाद नमाज़ ही का ज़िक्र कर रहे हैं।

हर बालिग़ मर्द व औरत पर रात-दिन में पांच वक़्त नमाज़ फ़र्ज़ है। उनके नाम ये हैं–

1. फ़ज्र, 2. ज़ुहर, 3. अस्र, 4. मग़्रिब, 5. इशा।

जो बन्दे नमाज़ की पाबन्दी करते हैं, वे इस इक़रार को अपने अमल से पूरा करते हैं जो उन्होंने कलिमा तैयबा पढ़कर

किया है कि हम अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे और जो लोग नमाज़ की पाबन्दी नहीं करते, वे गुलामी के इक़रार को अमल से झूठा कर देते हैं। नमाज़ छोड़ने वालों के हक़ में हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने नमाज़ छोड़ दी, उसने कुफ़्र का काम किया, इसलिए नमाज़ को हमेशा ख़ूब पाबन्दी से ठीक वक़्त पर अच्छी तरह वुज़ू करके और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए।

नमाज़ में यह बड़ी ख़ूबी है कि नमाज़ पढ़ते वक़्ते नमाज़ी का सारा जिस्म इबादत ही में बंध जाता है, हाथ-पांव, सर, कमर, नाक, आंख, जुबान सब उसी तरह मौक़े-मौक़े से रखने और इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिस तरह हुक्म है। यों समझो कि नमाज़ी के बदन का हर हिस्सा ख़ुदा के हुक्म पर चलने की मश्क़ करने में लग जाता है। अगर कोई मर्द या औरत ठीक-ठीक नमाज़ पढ़े तो नमाज़ के बाहर भी गुनाहों से बचेगा। क़ुरआन शरीफ़ में आया है कि बेशक नमाज़ बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है।

क़ुरआन मजीद में सैकड़ों जगह नमाज़ का ज़िक्र आया है और ठीक तरह नमाज़ पढ़ने को फ़रमाया है और हदीसों में नमाज़ की बहुत फ़ज़ीलत और ताकीद आई है। कुछ हदीसें हम यहां लिखते हैं।

नमाज़ की फ़ज़ीलत और ताकीद

हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि पांच नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, जिसने इन नमाज़ों का वुज़ू अच्छी तरह किया और वक़्त पर पढ़ा और उनका रुकूअ व

सज्दा पूरी तरह अदा किया, तो उसके लिए अल्लाह के ज़िम्मे उसका अह्द है कि अल्लाह उसको बख़्श देगा और जिसने ऐसा न किया तो उसके लिए अल्लाह के ज़िम्मे कोई अह्द (बख़्शिश) का नहीं, चाहे बख़्शे, चाहे अज़ाब दे।

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सर्दी के ज़माने में आबादी से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे। आपने एक पेड़ की दो टहनियां पकड़ लीं, तो (और भी ज़्यादा) पत्ते झड़ने लगे, वहीं आपके ख़ास सहाबी हज़रत अबूज़र रज़ि० भी थे। आपने उनको आवाज़ दी कि ऐ अबूज़र! उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्ल०! मैं हाज़िर हूं। आपने फ़रमाया, यक़ीन जानो, मुसलमान बन्दा अल्लाह की रज़ामंदी के लिए नमाज़ पढ़ता है, तो उसके (छोटे गुनाह) उसी तरह झड़ जाते हैं, जैसे ये पत्ते इस पेड़ से झड़ रहे हैं।

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सहाबियों से फ़रमाया कि बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पर नहर हो जिसमें वह हर दिन पांच बार नहाता हो, क्या उसके बदन का मैल कुछ ज़रा-सा भी बाक़ी रहेगा? सहाबियों ने अर्ज़ किया, नहीं, ज़रा भी मैल बाक़ी नहीं रहेगा। आपने फ़रमाया, यही पांच नमाज़ों का हाल है। इनके ज़रिए अल्लाह (छोटे गुनाहों को) मिटा देते हैं।

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ का ज़िक्र फ़रमाते हुए इर्शाद फ़रमाया कि जिसने नमाज़ की पाबन्दी की, उसके लिए क़ियामत के दिन नमाज़ नूर होगी

और (उसके ईमान की) दलील होगी और (उसकी) नजात (का सामान) होगी और जिसने नमाज़ की पाबन्दी न की, उसके लिए नमाज़ न नूर होगी, न (उसके ईमान की) दलील होगी, न नजात (का सामान) होगी और क़ियामत के दिन यह आदमी क़ारून और (उसके वज़ीर) हामान और मशहूर (मुश्रिक) उबई बिन ख़ल्फ़ के साथ होगा, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज़ की पाबन्दी करे और क़ियामत के दिन अपना हश्र काफ़िरों के साथ न होने दे।

सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि बेशक क़ियामत के दिन बन्दे से सबसे पहले उसकी नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज़ ठीक निकली तो कामियाब और बा-मुराद होगा और अगर नमाज़ ख़राब निकली तो (वहां की नेमतों से) महरूम होगा और टोटे और घाटे में रहेगा।

बे-वक़्त नमाज़ पढ़ना

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ को बे-वक़्त करके पढ़ने वालों के बारे में फ़रमाया है कि यह मुनाफ़िक़ की नमाज़ है कि बैठे-बैठे सूरज का इन्तिज़ार करता रहता है और जब सूरज पीला पड़ जाए तो खड़े होकर (जल्दी-जल्दी मुर्ग़ की तरह) चार ठोंगें मार लेता है (और) ख़ुदा को इन (सज्दों) में (जो मुर्ग़ की ठोंगों की तरह झट-पट किए) बस ज़रा-सा याद करता है।

एक नमाज़ की क़ीमत

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसकी एक नमाज़ जाती रहे, तो उसका इतना बड़ा नुक़्सान हुआ, जैसे किसी के घर के लोग और माल और दौलत सब जाता रहा, जो मर्द व औरत बच्चों की परवरिश के ख़्याल में या तिजारत या मुलाज़मत के धन्धों में नमाज़ छोड़ देते हैं, इन मुबारक हदीसों पर ग़ौर करें।

नमाज़ की चोरी

एक बार आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सब लोगों से बुरा चोर वह है जो अपनी नमाज़ से चोरी करता है। यह सुनकर सहाबियों रज़ि० ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! नमाज़ की चोरी कैसी? आपने फ़रमाया, (नमाज़ की चोरी यह है कि) उसका रुकूअ व सज्दा पूरा-पूरा न करे।

दीने इस्लाम में नमाज़ का दर्जा

आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि उसका कोई दीन नहीं जिसकी नमाज़ नहीं, नमाज़ का दर्जा दीने इस्लाम में वही है जो सर का दर्जा (इंसान के) जिस्म[1] में है, यानीं जिस तरह कोई आदमी बिना सर के ज़िंदा नहीं रह सकता, उसी तरह नमाज़ के बग़ैर आदमी ठीक तरह का मुसलमान नहीं हो सकता।

---

1. दुर्रे मंसूर

बच्चों को नमाज़ पढ़ाना मां-बाप के ज़िम्मे है

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि अपनी औलाद को नमाज़ का हुक्म दो जबकि सात वर्ष के हों और नमाज़ न पढ़ने पर उनको मारो, जबकि दस वर्ष के हों और दस वर्ष की उम्र हो जाने पर उनके बिस्तर भी अलग कर दो। (एक को दूसरे के साथ न सुलाओ।)

ज़रूरी तंबीह

नमाज़ में जो कुछ पढ़ा जाता है, यानी अलहम्दु शरीफ़ और दूसरी सूरतें और अत्तहीयात और दुआ-ए-क़ुनूत वग़ैरह उसको ख़ूब अच्छी तरह सही करके याद करना ज़रूरी है, बेहतर है कि किसी को सुना दो, जिसे ठीक याद हो, अक्षरों का अन्तर मेहनत करके ठीक कर लो, नमाज़ के फ़र्ज़, सुन्नतें और शर्तें और वे सब चीज़ें मालूम कर लो जिनसे नमाज़ दुरुस्त होती है और ख़ूब दिल लगाकर अच्छी से अच्छी नमाज़ पढ़नी चाहिए।

नफ़्ल नमाज़ों का बड़ा सवाब है

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बेशक क़ियामत के दिन बन्दे के आमाल में से सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा। अगर नमाज़ ठीक निकली तो कामियाब और बा-मुराद होगा और अगर नमाज़ ख़राब निकली तो (वहां की नेमतों से) महरूम होगा और टोटा उठाएगा। (अब उसके बाद अल्लाह की तरफ़ से यह फ़ज़्ल होगा कि) अगर उसके फ़र्ज़ों में कमी रह जाएगी तो अल्लाह (फ़रिश्तों से) फ़रमाएंगे कि देखो

मेरे बन्दे के (आमालनामे में) कुछ नफ़्ल हैं। (इसलिए अगर नफ़्ल भी होंगे तो) नफ़्लों के ज़रिए फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दी जाएगी, फिर सारे आमाल का यही मामला होगा।

लेकिन मोमिन बन्दों को चाहिए कि आख़िरत की कामियाबी के लिए नफ़्लों का ज़ख़ीरा भी जमा करके क़ियामत के दिन के वास्ते ले चलें, जिस क़दर भी हो सके, नफ़्ल नमाज़ें पढ़ो, फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले और पीछे जो सुन्नतें (मुअक्कदा और ग़ैर मुअक्कदा) और नफ़्लें पढ़ी जाती हैं, सबको पढ़ा करो।

तहीयतुल वुज़ू

वुज़ू के बाद दो रक्अत नफ़्ल पढ़ना मुस्तहब है, फ़रमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो भी मुसलमान वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर खड़े होकर ऐसी दो रक्अत नमाज़ पढ़े जिनकी तरफ़ अपने ज़ाहिर व बातिन से तवज्जोह रखे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

इशराक़ की नमाज़

जब सूरज निकल कर बुलन्द हो जाए और अच्छी तरह साफ़ और सफ़ेद मालूम होने लगे तो दो या चार रक्अत नफ़्ल पढ़ो, इसको इशराक़ की नमाज़ कहते हैं, फिर उसके तीन घंटे के बाद दो या चार या आठ रक्अत नफ़्ल पढ़ो। इसको चाश्त की नमाज़ कहते हैं। इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक़्त आठ रक्अत पढ़ा करती थीं और फ़रमाती थीं कि मेरे मां-बाप भी क़ब्रों से उठकर चले आवें, तब भी उनको न छोड़ूं। हज़रत रसूले

करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने चाश्त की दो रक्अतों की पाबन्दी कर ली, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगरचे समुंद्र के झागों के बराबर हों।

अव्वाबीन की नमाज़

मग़्रिब की नमाज़ के बाद छः या बीस रक्अत नफ़्ल पढ़ो। इसको अव्वाबीन की नमाज़ कहते हैं। हदीस शरीफ़ में है कि जिसने मग्रिब के बाद इस तरह छः रक्अतें पढ़ लीं कि उनके दर्मियान कोई बुरी बात न की, तो ये छः रक्अतें उसके लिए बारह साल की इबादत के बराबर होंगी और यह भी हदीस शरीफ़ में आया है कि जिसने मग़्रिब के बाद बीस रक्अतें पढ़ लीं, उसके लिए अल्लाह जन्नत में एक घर बना देंगे।

तहज्जुद की नमाज़

तहज्जुद के वक़्त ख़ास तौर से दुआ क़ुबूल होती है। सुबह की अज़ानों से एक दो घंटे पहले उठकर वुज़ू करके जिस क़दर हो सके, दो रक्अत से लेकर बारह रक्अत तक नफ़्ल नमाज़ पढ़ो। हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर दिन रात को तिहाई रात बाक़ी रह जाती है, तो अल्लाह फ़रमाते हैं, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ क़ुबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसका सवाल पूरा करूं? कौन है जो मुझसे मग़्फ़िरत चाहे, मैं उसकी मग़्फ़िरत करूं? कौन है जो ऐसे को क़र्ज़ दे जो कंगाल नहीं और ज़ालिम नहीं, सुबह होने तक अल्लाह यही फ़रमाते हैं।

तीसरा सबक़

ज़कात

ज़कात इस्लाम का तीसरा रुक्न है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई और उसने ज़कात न दी, तो उसको बड़ा अज़ाब होगा। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया, फिर उसने ज़कात अदा न की, तो क़ियामत के दिन उसका माल बड़ा ज़हरीला गंजा सांप बना दिया जाएगा, जिसकी आंखों पर दो काले नुक़्ते से होंगे, वह सांप उसके गले में तौक़ की तरह लिपट जाएगा, फिर उसके दोनों जबड़े पकड़ कर नोचेगा, फिर यों कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं। यह मज़्मून क़ुरआन शरीफ़ की एक आयत में भी आया है। इस मज़्मून को इर्शाद फ़रमा कर हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वही आयत तिलावत फ़रमाई।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि जिसके पास सोना-चांदी हो (और) उसमें से वह हक़ अदा न करे, तो जब क़ियामत का दिन होगा, तो उसके (अज़ाब देने के) लिए आग की तख़्तियां बनाई जाएंगी। फिर उनको दोज़ख़ की आग में गर्म करके उसकी गरदनों और पेशानी और पीठ (यानी कमर) को दाग़ दिया जाएगा और जब ठंडी हो जाएंगी, फिर गर्म कर ली जाएंगी, उस दिन में (जिसे क़ियामत का दिन कहते हैं और) जो पचास हज़ार वर्ष का होगा, यहां तक कि बन्दों के बीच फ़ैसला हो, उसको यही अज़ाब दिया जाता

रहेगा) पस वह (हिसाब-किताब के नतीजे में) अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ या दोज़ख़ की तरफ़ देख लेगा।

ख़ुदा की पनाह

भला ऐसे सख़्त अज़ाब की किसको सहार है। थोड़े से लालच और फ़ना होने वाले माल की मुहब्बत में इतनी बड़ी मुसीबत भुगतने के लिए अपनी जान को तैयार करना बड़ी बेवक़ूफ़ी और नादानी की बात है। ख़ुदा का दिया हुआ माल ख़ुदा ही की राह में ख़ुदा ही का हुक्म होते हुए ख़र्च न करना सख़्त गुनाह और बड़ी बे-ग़ैरती है। अगर तुम पर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात अदा करो और अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों को भी ज़कात देने के लिए आमादा करो, अपने रिश्तेदारों की यही ख़ैरख़्वाही है कि उनको आख़िरत के अज़ाब से बचाया जाए। बहुत-सी औरतों के पास ज़ेवर होता है, मगर उसकी ज़कात नहीं अदा करती हैं, शायद आख़िरत के अज़ाब में अपनी जान झोंकने को अच्छा काम समझती होंगी।

अल्लाह ने क़ुरआन शरीफ़ में जगह-जगह जक़ात अदा करने का हुक्म फ़रमाया है। आलिमों ने बताया है कि क़ुरआन शरीफ़ में 32 जगह नमाज़ के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म है और जहां-जहां सिर्फ़ ज़कात का हुक्म है, वह इसके अलावा है, पारा अलिफ़-लाम-मीम में अल्लाह ने फ़रमाया है कि—

'और नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो और जो कुछ अपनी जानों के लिए कोई भलाई पहले से भेज दोगे, उसे अल्लाह के पास पाओगे।'

और हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बेशक अल्लाह ने ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की है कि बाक़ी माल को पाकीज़ा बना दे और यह भी फ़रमाया कि बेशक तुम्हारे इस्लाम की तक्मील इसमें है कि मालों की ज़कात अदा करो।

ज़कात से माल का शर दूर हो जाता है

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी माल की ज़कात अदा कर दे तो उस माल का शर दूर हो जाता है। शर का मतलब है बुराई और ख़राबी। माल से फ़ायदे भी हैं और नुक़्सान भी काफ़ी पहुंच जाता है। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ज़कात देने से माल की ख़राबी दूर हो जाती है, यानी अगर पाबन्दी के साथ ख़ूब हिसाब करके पूरी तरह ज़कात अदा की जाती है, तो वह माल न तो आख़िरत के अज़ाब की वजह बनेगा, न दुनिया में बर्बाद होगा, न उसकी वजह से और कोई मुसीबत आएगी।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि अपने मालों को ज़कात अदा करने के ज़रिए महफ़ूज़ बनाओ और अपने बीमारों का इलाज यह करो कि सदक़ा दो और दुआ और अल्लाह के सामने आजिज़ी करने के ज़रिए आने वाली मुसीबतों की मौजों का मुक़ाबला करो।

ज़कात रोकने से अकाल पड़ता है

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया

है कि जो लोग ज़कात रोक लेते हैं, अल्लाह उन पर क़हत (अकाल) की मुसीबत डाल देते हैं। दूसरी हदीस में है कि जो लोग ज़कात रोक लेते हैं, उनकी सज़ा में बारिश रोक ली जाती है, अगर चौपाए (भैंस, बैल वग़ैरह) न हों तो ज़रा बारिश न हो।

ज़कात रोकने से माल तलफ़ हो जाता है

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो माल भी किसी ख़ुश्की में या किसी दरिया में तलफ़ होता है, पस वह ज़कात रोकने से ही बर्बाद होता है और यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि जिस माल के साथ ज़कात का माल मिल जाता हैं, वह उस माल को हलाक किए बग़ैर नहीं रहता, यानी जिस माल में ज़कात वाजिब हुई और उसकी ज़कात न निकाली गई और ज़कात का रुपया भी उस माल में मिला हुआ हो, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, तो यह ज़कात वाला रुपया उस माल को तलफ़ कर देगा, यानी एक न एक दिन वह माल बर्बाद हो जाएगा।

ज़कात किस पर फ़र्ज़ है?

ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए बहुत बड़ा मालदार होना ज़रूरी नहीं है। जो मर्द या औरत साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना या इनमें से किसी की क़ीमत के रुपए या सौदागरी के माल का मालिक हो, वह शरीअत में मालदार है और उस पर ज़कात फ़र्ज़ है।

मस्अला—ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए यह शर्त है कि उस

माल पर साल गुज़र जाए। जिसके पास साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोना या उनमें से किसी एक की क़ीमत का रुपया या सौदागरी का माल एक साल रहे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर साल पूरा होने से पहले माल जाता रहा, तो ज़कात फ़र्ज़ न होगी।

मस्अला—साल के अन्दर-अन्दर अगर माल घट जाए और साल ख़त्म होने से पहले ही उतना माल फिर आ जाए कि अगर उसको बाक़ी माल में जोड़ दें तो उस हद को पहुंच जावे जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, तब भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, ग़रज़ कि बीच साल में माल के कम हो जाने से ज़कात माफ़ नहीं होती।

मस्अला—सोने-चांदी के ज़ेवर और बरतन और सच्चा गोटा और ठप्पा कपड़ों में लगा हुआ हो, चाहे अलग रखा हो, चाहे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हों, चाहे यों ही रखी हों, ग़रज़ यह कि सोने-चांदी की हर चीज़ में ज़कात फ़र्ज़ है।

मस्अला—सोने-चांदी में अगर मिलावट हो, जैसे रांग या पीतल मिला हुआ हो, तो उसका हुक्म यह है कि अगर सोना-चांदी ज़्यादा हो तो ज़कात वाजिब होने के बारे में उन सबका वही हुक्म है जो सोने-चांदी का हुक्म है, यानी अगर इतने वज़न के हों, जो ऊपर बयान हुआ तो साल गुज़र जाने पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और अगर मिलावट वाली चीज़ रांग-पीतल ज़्यादा है तो उसका हुक्म तांबे और पीतल का है, जो अभी बयान होगा।

मस्अला—किसी के पास न तो साढ़े बावन तोला चांदी

है, न साढ़े सात तोला सोना है, बल्कि थोड़ा सोना और थोड़ी चांदी है तो अगर दोनों की क़ीमत मिलाकर साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोने के बराबर हो जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी।

मस्अला—किसी के पास सौ रुपए थे, फिर साल पूरा होने से पहले-पहले पचास रुपए और मिल गए तो इन पचास रुपयों का हिसाब अलग न करेंगे, बल्कि जब पहले से रखे हुए सौ रुपए का साल पूरा होगा तो उस वक़्त इन पचास को मिलाकर पूरे डेढ़ सौ रुपए की ज़कात देनी होगी।

मस्अला—किसी के पास, मिसाल के तौर पर सौ तोला चांदी रखी थी, फिर साल गुज़रने से पहले चार तोला सोना और आ गया तो उस चांदी के साथ मिलाकर ज़कात का हिसाब किया जावेगा और जब सौ तोला चांदी का साल पूरा होने पर उसकी ज़कात दी जाएगी उसी के साथ उस सोने की ज़कात भी देना होगी, जब से यह सोना आया है, उसके बाद से उस सोने पर साल गुज़र जाने का इन्तिज़ार न किया जाएगा।

मस्अला—किसी के पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है या कुछ सौदागरी का माल है तो सबको मिलाकर देखो, अगर उसकी क़ीमत साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोने के बराबर हो जावे, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, अगर उसकी क़ीमत से कम हो, तो नहीं।

मस्अला—किसी के पास दो सौ रुपए हैं और एक सौ रुपए उस पर क़र्ज़ हैं तो एक सौ रुपए की ज़कात देना फ़र्ज़ है।

मस्अला—सोना-चांदी और नक़द रुपए के अलावा जितनी चीज़ें हैं, लोहा, तांबा, पीतल, गिलट, रांग और इन चीज़ों के बने हुए बरतन वग़ैरह और कपड़े और जूते उसके अलावा जो कुछ अस्बाब हो, उसका हुक्म यह है कि अगर वह बेचने का और सौदागरी का माल होगा, तो अगर इतना हो कि उसकी क़ीमत साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े सात तोला सोने के बराबर हो तो जब साल गुज़र जाए तो उसमें ज़कात फ़र्ज़ है और इतना न हो, तो उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं और अगर वह माल सौदागरी का न हो, तो उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं, चाहे जितना हो।

मस्अला—जिस माल पर ज़कात फ़र्ज़ हो, साल पूरा होने पर पूरे उस माल का चालीसवां हिस्सा या चालीसवें की नक़द क़ीमत अदा करे, जैसे अस्सी रुपए की मालियत हो तो दो रुपए देवे और सौ रुपए की मालियत हो तो ढाई रुपए देवे और हज़ार रुपए की मालियत हो तो पचीस रुपए देवे।

मस्अला—ज़कात की रक़म से मस्जिद बनाना, लावारिस मुर्दे के कफ़न-दफ़न में लगाना दुरुस्त नहीं। ज़कात अदा होने की शर्त यह है कि जिसको ज़कात देना दुरुस्त हो, उसको ज़कात की रक़म का मालिक बना देवे।

मस्अला—सैयदों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं, अगरचे ग़रीब हों और उनको लेना भी हलाल नहीं।

मस्अला—मां-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी और बेटा-बेटी, पोता-पोती और उन सबको ज़कात की रक़म देने से ज़कात अदा न होगी, जिससे यह पैदा है या जो उससे पैदा हैं।

मस्अला—भाई-बहन, भतीजी, भांजी, चचा, फूफी, ख़ाला, मामूं, इनको ज़कात देना दुरुस्त है, अगर ज़कात के हक़दार हों, बल्कि उनको ज़कात देने से दोहरा सवाब मिलता है।

मस्अला—जिसके पास इतना माल या ज़रूरत से ज़्यादा इतना सामान हो जो साढ़े बावन तोला चांदी की क़ीमत का हो सकता है, तो उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं और जिसकी माली हैसियत इससे कम हो, उसको ज़कात दे सकते हैं। बहुत-सी औरतें बेवा होती हैं, मगर उनके पास इतना ज़ेवर होता है जिस पर शरीअत में ज़कात फ़र्ज़ है, उनको ज़कात देने से ज़कात अदा न होगी।

मस्अला—ज़कात की नीयत किए बग़ैर रुपया दे दिया तो ज़कात अदा न हुई, वह नफ़्ली सदक़ा हुआ। ऐसा हो जावे तो ज़कात फिर देवे।

ज़रूरी तंबीह

ज़कात का हिसाब चांद से है, यानी माल होने पर जब चांद के हिसाब से बारह माह गुज़र जावें तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। बहुत-से लोग अंग्रेज़ी महीनों से ज़कात का हिसाब रखते हैं, इसमें दस दिन की देर तो हर साल हो ही जाती है और इसके अलावा 36 साल में एक साल की ज़कात कम हो जाएगी, जो अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ रहेगी।

हिदायत—इन मस्अलों को किसी पढ़े हुए दीनदार से ख़ूब समझ लो।

नफ़्ली सदक़ा

ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है और उसका अदा करना सख़्त ज़रूरी है और ज़कात के अलावा दीन के तालिब इल्मों, यतीमों, मिस्कीनों, वेवाओं, मुसाफ़िरों, मुहताजों और अपाहिजों पर ख़र्च करने का भी बहुत बड़ा सवाव है। सवाब कोई मामूली चीज़ नहीं। जब आख़िरत में सवाब दिया जाएगा, उस वक़्त उसकी क़ीमत का अन्दाज़ा होगा। जितना भी हो सके, अपनी ज़रूरतों को रोक कर अल्लाह की रिज़ा के लिए माल ख़र्च करके अपनी आख़िरत सुधारो और उस माल को मरने के बाद काम आने के लिए पहले से भेज दो।

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर वालों ने एक बकरी ज़िब्ह की। आपने उसके गोश्त के बारे में मालूम किया कि गोश्त क्या हुआ। आपकी बीवी हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, (वह तो सब सदक़ा कर दिया गया, बस उसका दस्त बाक़ी है) आपने फ़रमाया कि बाक़ी वही है जो अल्लाह की ख़ुश्नूदी के लिए दे दिया गया, इसलिए असल बात यह हुई कि उसके (इस) दस्त के अलावा सब बाक़ी है (और जो अभी हमारे क़ब्ज़े में है वह तो फ़ना होने वाला है।)

जब किसी मुहताज और ज़रूरतमंद को देखो तो जो कुछ थोड़ा या बहुत मयस्सर हो फ़ौरन ख़र्च कर दो। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि दोज़ख़ से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही ख़ैरात कर दो। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक मांगने वाला आया तो

उन्होंने उसको सिर्फ़ अंगूर का एक दाना दे दिया।[1] एक बार उनके पास एक औरत आई जिसके साथ दो लड़कियां थीं। उसने सवाल किया हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक खजूर के अलावा कुछ न था। उन्होंने उसको वही दे दी। उस औरत ने उसके दो टुकड़े करके अपनी बच्चियों को दिए।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बिला शुबहा सदक़ा परवरदिगार के गुस्से को बुझाता है और बुरी मौत[2] को दूर करता है और यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि बला आने से पहले सदक़ा करने में जल्दी करो, क्योंकि सदक़ा को फांद कर बला नहीं आ सकती। एक हदीस में है कि अल्लाह फ़रमाते हैं, ऐ इंसान! (दूसरों पर) ख़र्च कर, मैं तुझ पर ख़र्च करूंगा। यह भी हदीस शरीफ़ में है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन हज़रत अस्मा रज़ि० से फ़रमाया कि ख़र्च कर और गिनकर मत रख, वरना अल्लाह भी गिन-गिन कर देंगे। (यानी बेहिसाब बहुत-सा नहीं मिलेगा) और बन्द करके मत रख, वरना अल्लाह भी दाद व दहश बन्द कर देंगें, ज़रा सा भी हो, जिस क़दर मुम्किन हो सके, ख़र्च कर।

---

1. मुअत्ता इमाम मालिक
2. बुरी मौत से वह मौत मुराद है जो ईमान के साथ न हो या अचानक आ जावे और वसीयत वग़ैरह न कर सके या मौत की घबराहट में अल्लाह की नाशुक्री के कलिमे ज़ुबान से निकल जाएं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है, वह फ़रमाते थे कि मैं एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ ईद के मौक़े पर था। आपने ईद की नमाज़ पढ़ाई, उसके बाद ख़ुत्बा दिया, फिर औरतों के पास जाकर वाज़ फ़रमाया, और उनको नसीहत फ़रमाई और सदक़ा करने का हुक्म दिया, औरतों पर ऐसा असर हुआ कि अपने हाथों से कानों और गलों से ज़ेवर उतार-उतार कर दे दिए, उस वक़्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ थे, वह जमा करते रहे, उसके बाद हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत बिलाल रज़ि० के साथ अपने घर तशरीफ़ ले गए, (और उस) सदक़े के माल को ज़रूरतमंदों पर ख़र्च कर दिया।

ख़ैर-ख़ैरात करने में ऐसे मौक़े का ख़ास ध्यान रखो, जिसका सवाब मरने के बाद भी बाक़ी रहे, जिसे सदक़ा जारिया कहते हैं। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बेशक मोमिन को उसके अमल से और नेकियों से मरने के बाद जो मिलता है, वह इल्म है, जिसका वह आलिम हो और उसे वह फैला गया या नेक औलाद छोड़ गया या क़ुरआन शरीफ़ उसके तर्के से किसी को मिल गया या मस्जिद या मुसाफ़िरख़ाना तामीर कर दिया या नहर ज़ारी कर गया या अपने माल से (और कोई) ऐसा सदक़ा अपनी ज़िंदगी में कर गया जो मरने के बाद उसे पहुंचता रहेगा, जैसे कोई दीनी मदरसा बना दिया या किसी मदरसे को क़ुरआन शरीफ़ या दीनी किताबें वक़्फ़ कर दीं, वग़ैरह-वग़ैरह।

सदक़े से माल बढ़ता है, कम नहीं होता, जो हो सके ज़िंदगी में कर गुज़रो। दम निकलते ही सब दूसरों का हो जाएगा। मौत के वक़्त यह कहना कि फ़्लां को इतना दो और फ़्लां को इतना दो, इसमें भी सवाब है, पर ख़ास फ़ज़ीलत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारा रहा ही नहीं, दो चार मिनट में दूसरों का ख़ुद ही हो जाएगा।

Maktab Ashraf

चौथा सबक़

बैतुल्लाह का हज

हज इस्लाम का चौथा रुक्न है और इस्लाम में हज की इतनी बड़ी अहमियत है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसको वाक़ई मजबूरी ने या ज़ालिम बादशाह ने या सफ़र से रोकने वाले मरज़ ने हज से नहीं रोका और उसने हज नहीं किया तो उसको चाहिए कि अगर चाहे तो यहूदी होने की हालत में मर जाए और चाहे तो नसरानी होने की हालत में मर जाए।

बहुत से मर्दों और औरतों पर हज फ़र्ज़ होता है, लेकिन पैसे की मुहब्बत और दुनिया के फंदों में फंसकर हज नहीं करते हैं और बग़ैर हज किए मर जाते हैं, देखो, ऐसे लोगों के लिए कैसी सख़्त धमकी दी और बहुत से लोग हज को जाना चाहते हैं, मगर इस साल और अगले साल के फेर में वर्षों लगा देते हैं, ये लोग भी बहुत बुरा करते हैं। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि 'जिसे हज करना हो जल्दी करे' मौत की क्या ख़बर है कि कब सर पर आ खड़ी हो, हज फ़र्ज़ होते ही उसी साल हज को रवाना हो जाओ।

हज की फ़ज़ीलत

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने अल्लाह के लिए ऐसा हज किया, जिसमें गन्दी

बातें न कीं और गुनाह न किए, वह ऐसा वापस होगा, जैसे उसकी मां ने आज ही उसको जना है। (यानी बच्चे की तरह बे-गुनाह हो जाएगा और यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि नेकी से भरे हुए हज का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं, नेकी से भरा हुआ हज वह है, जो रिया, शोहरत और शेख़ी के लिए न किया जाए, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की रिज़ा के लिए हो और उस हज में गन्दी बातें न की जाएं, गुनाहों से परहेज़ हो और जिसमें लड़ाई-झगड़ा न किया हो।

हज की तरह उमरा भी एक इबादत है। वह भी मक्का शरीफ़ में होता है और उसमें हज की तरह कुछ काम करने पड़ते हैं। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि हज और उमरा को जाने वाले अल्लाह के मेहमान हैं। (उनका इतना बड़ा मर्तबा है कि) अगर अल्लाह से दुआ करें तो वह क़ुबूल करे और उससे मग़्फ़िरत तलब करें तो बख़्श दे और यह भी इर्शाद फ़रमाया कि हज और उमरा तंगदस्ती और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं, जैसे आग की भट्टी लोहे की और सोने-चांदी की ख़राबी को दूर कर देती है।

हज किस पर फ़र्ज़ है?

जिसके पास अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा इतना ख़र्च हो कि सवारी पर दर्मियाने गुज़ारे के साथ खाते-पीते मक्का शरीफ़ जाकर और हज करके आ जाए, उसके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो जाता है।

मस्अला—अगर किसी के पास सिर्फ़ इतना ख़र्च है कि मक्का शरीफ़ जाकर सवारी पर आना-जाना हो सकता है, मगर मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने का ख़र्च नहीं, तो उस पर भी हज फ़र्ज़ है।

मस्अला—हज उम्र भर में एक बार फ़र्ज़ है। अगर कई हज किए तो एक फ़र्ज़, बाक़ी सब नफ़्ल होंगे, नफ़्ली हज का भी बड़ा सवाब है।

मस्अला—लड़कपन में मां-बाप के साथ अगर किसी ने हज किया हो, वह हज नफ़्ल है। अगर मालदार है तो जवान होने के बाद फिर हज करना फ़र्ज़ है।

मस्अला—हज करने के लिए औरत के साथ उसके शौहर या किसी और महरम का होना ज़रूरी है। महरम उसको कहते हैं जिससे निकाह कभी दुरुस्त न हो, जैसे बाप, भाई, सगे मामूं वग़ैरह। महरम का बालिग़ होना ज़रूरी है। नाबालिग़ या ऐसे बद-दीन महरम के साथ जाना दुरुस्त नहीं, जिस पर इत्मीनान न हो।

मस्अला—जब औरत के पास माल हो और उसको महरम भी मिल जाए, तो हज को चली जाए। फ़र्ज़ हज से शौहर को रोकना सही नहीं। अगर शौहर रोके, तब भी चली जाए।[1]

मस्अला—औरत को जो उनका महरम हज कराने के लिए ले जाए, उसका ख़र्च औरत के ज़िम्मे है, हां अगर वह महरम ख़ुद न ले, जैसे उस पर हज फ़र्ज़ हो और अपने हज के लिए जा रहा हो, तो और बात है, वह न ले, तो देना ज़रूरी नहीं।

1. लेकिन महरम का साथ होना ज़रूरी है।

मस्अला—अगर सारी उम्र ऐसा महरम न मिला जिसके साथ औरत हज का सफ़र करती, तो हज न करने का गुनाह न होगा, लेकिन मरते वक़्त वारिसों को यह वसीयत करना वाजिब है कि मेरी तरफ़ से हज बदल करा देना। मरने के बाद वारिस किसी आदमी को ख़र्च देकर भेज दें कि वह जाकर उसकी ओर से हज कर आए, ऐसा करने से उस बेचारी की तरफ़ से हज अदा हो जाएगा।

मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत

हज के बाद या पहले अगर ताक़त हो तो मदीना शरीफ़ जाकर हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ़ ज़रूर जाओ। इर्शाद फ़रमाया, हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की, उसके लिए मेरी शफ़ाअत ज़रूरी हो गई और यह भी इर्शाद फ़रमाया कि जिसने बैतुल्लाह का हज किया और मेरी ज़ियारत न की, उसने मुझ पर ज़ुल्म किया, इसलिए हज करने जाओ तो आंहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ़ भी ज़रूर पहुंचो।

हज के मस्अले तफ़्सील से देखना हों, तो ये किताबें पढ़ो, 'मुअल्लिमुल हुज्जाज', 'आसान हज', 'ज़ब्दतुल मनासिक', 'रफ़ीक़े हज', 'हज्जतुल वदाअ' और जो कोई भरोसे की किताब मिल जाए।

पांचवां सबक़

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े

रमज़ान शरीफ़ के रोज़े हर बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ हैं। इस्लाम के पांचों अरकान, जिन पर इस्लाम की बुनियाद है, उनमें रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखना भी है। बहुत से मर्द व औरत बीड़ी-सिगरेट या पान खाने की आदत होने की वजह से या भूख व प्यास के डर से रोज़े नहीं रखते, ऐसे लोग दुनिया की भूख व प्यास से तो बचते हैं, मगर क़ब्र और हश्र की सख़्तियों और दोज़ख़ की भूख और दूसरे अज़ाबों से बचने की फ़िक्र नहीं करते। ख़ुदा की नाफ़रमानी करने की वजह से मरने के बाद जो अज़ाब होंगे, उनके सामने कुछ घंटों की भूख व प्यास और पान-बीड़ी से बचकर ज़रा-सी जो तक्लीफ़ होती है, उसकी क्या हक़ीक़त है?

इर्शाद फ़रमाया, हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि रोज़े और क़ुरआन शरीफ़ बन्दे के लिए (ख़ुदावन्द करीम से) सिफ़ारिश करेंगे (कि परवरदिगार! तू इसको बख़्श दे और इस पर रहम फ़रमा।) रोज़ा कहेगा कि ऐ रब! मैंने इसको दिन में खाने से और नफ़्स की ख़्वाहिशों से रोक दिया था, इसलिए मेरी सिफ़ारिश इसके हक़ में क़ुबूल फ़रमा और क़ुरआन कहेगा कि ऐ रब! (इसने मुझे रात को नमाज़ में खड़े होकर पढ़ा और) मैंने इसको रात को सोने से रोक दिया, इसलिए इसके हक़ में आप मेरी सिफ़ारिश क़ुबूल फ़रमाएं। हासिल यह कि दोनों की

सिफ़ारिश क़ुबूल कर ली जाएगी।

रोज़ेदार का अल्लाह के नज़दीक बड़ा मर्तबा है। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी ज़्यादा उम्दा है और यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि रोज़ेदार के लिए दो ख़ुशियां हैं। एक ख़ुशी उस वक़्त हासिल होती है जबकि इफ़तार करता है, दूसरी ख़ुशी उस वक़्त होगी जबकि वह अपने परवरदिगार से मुलाक़ात करेगा।

इसलिए तुम पाबन्दी के साथ रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखा करो और रमज़ान का रोज़ा हरगिज़ न छोड़ो। सख़्त बीमारी या लम्बे सफ़र की वजह से रोज़ा छूट जाए तो जल्दी उसकी क़ज़ा रख लो। हर चीज़ का मौसम और सीज़न होता है, मौक़े-मौक़े पर से हर चीज़ की क़ीमत बढ़ती रहती है। रमज़ान शरीफ़ के रोज़ों की इतनी बड़ी अज़्मत और क़ीमत है कि उसके बारे में हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने बग़ैर किसी शरई इजाज़त या बग़ैर किसी (ऐसे) मर्ज़ के, जिसमें बाद में रखने की नीयत से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया, अगर सारी उम्र उसके बदले रोज़ा रखे तब भी उस रोज़े का बदल नहीं हो सकता, अगरचे क़ज़ा रखने से हुक्म की तामील हो जाएगी, मगर मर्तबे के एतबार से वह बात कहां जो रमज़ान का रोज़ा रखकर हासिल होती है।

रमज़ान शरीफ़ का महीना बहुत मुबारक है। हदीस शरीफ़ में आया है कि इस महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब सत्तर फ़र्ज़ों के सवाब

के बराबर मिलता है और नफ़्ल काम का सवाब फ़र्ज़ काम के सवाब के बराबर मिलता है। इस मुबारक महीने में शैतान बांध दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इस माह में ख़ास तौर से फ़र्ज़ नमाज़ की पाबन्दी करते हुए नफ़्ल नमाज़ और क़ुरआन की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करो और रात को तरावीह पढ़ो। ला इला-ह इल्लल्लाहु ज़्यादा पढ़ना, इस्तग़फ़ार बहुत करना, जन्नत का सवाल और दोज़ख़ के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगना, इन बातों का ख़ास ख़्याल रखो और अमल करो। बहुत-सी औरतें समझती हैं कि तरावीह की नमाज़ सिर्फ़ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं, यह बिल्कुल ग़लत है। मर्द व औरत सबको पढ़ना ज़रूरी है। इस मुबारक महीने में सख़ावत बहुत करो, मुहताजों को ख़ूब दो, भूखों को खाना खिलाओ, नौकरों का काम हल्का कर दो, और रोज़ेदारों को रोज़ा इफ़तार कराया करो।

इस महीने में शबे क़द्र भी होती है, इस रात में इबादत करना हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है। रमज़ान के आख़िर के दस दिनों में 21, 23, 25, 27, 29, इन तारख़ों से पहले जो रातें आती हैं, उनमें रात भर ख़ूब इबादत करो, इनमें से कोई न कोई शबे क़द्र होती है और आख़िरत ज़्यादा कमाने के लिए एतकाफ़ करना भी बड़े सवाब का काम है।

रमज़ान शरीफ़ की बीसवीं तारीख़ को सूरज छिपने से पहले एतकाफ़ में बैठ जाए और ईद का चांद नज़र आए तो एतकाफ़ की जगह से निकल आए। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि एतकाफ़ करने वाला गुनाह करने से

महफ़ूज़ रहता है और इसके लिए उन नेकियों के करने का सवाब भी मिलता है जो बे-एतकाफ़ वाले चल-फिर कर करते हैं।

मस्अला—मर्दों को ऐसी मस्जिद में एतकाफ़ करना दुरुस्त है जिसमें पांचों वक़्त जमाअत से नमाज़ होती हो औरत अपने घर की मस्जिद में यानी उस जगह एतकाफ़ करे जो घर में नमाज़ पढ़ने के लिए मुक़र्रर कर रखी है। अगर कोई जगह मुक़र्रर न हो तो घर के किसी कोने को मस्जिद मुक़र्रर करके एतकाफ़ के लिए बैठ जाए, यह बड़े सवाब का काम है और औरतों के लिए बहुत सहल है कि अपनी एतकाफ़ की जगह बैठी-बैठी तिलावत भी करती रहें और वहीं बैठे हुए लड़कियों और नौकरानियों से घर का काम भी बताती रहें। इस क़दर आसानी होने पर भी औरतें इतनी बड़ी नेकी से महरूम रहती हैं।

मस्अला—एतकाफ़ की जगह से पेशाब-पाख़ाना के लिए निकलना दुरुस्त है, खाने-पीने की चीज़ें इसी जगह मंगवा कर खा लेवे और हर वक़्त उसी जगह रहे और उसी जगह सोए और हर वक़्त नफ़्लों-तस्बीहों में लगी रहे।

मस्अला—यह जो मशहूर है कि एतकाफ़ में किसी से बात करना दुरुस्त नहीं, यह ग़लत है, बल्कि उसी जगह बैठे-बैठे बात करना घर का कामकाज बताना भी दुरुस्त है।

मस्अला—एतकाफ़ में हर महीने वाली औरतों की मजबूरी शुरू हो जाए तो एतकाफ़ छोड़ दे और बाद में ख़ास उसी दिन के एतकाफ़ की क़ज़ा कर ले जिस रोज़ से यह मज़बूरी शुरू हुई।

मस्अला—क़ज़ा एतकाफ़ के लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है।

नफ़्ली रोज़े

नफ़्ली रोज़ों का भी बड़ा सवाब है। ईद के दिन का रोज़ा और बक़रीद की दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेहरवीं तारीख़ के रोज़े रखना हराम हैं। इनके अलावा साल भर में जितने चाहे नफ़्ल रोज़े रखे और ख़ूब सवाब कमाए, मगर यह मस्अला याद रखो कि अगर शौहर घर पर हो तो उसकी इजाज़त के बग़ैर नफ़्ल रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है, बहुत-सी औरतें इस मस्अले का ख़्याल नहीं करती हैं।

हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखना बहुत सवाब है। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इन दोनों दिनों में आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं, इसलिए मैं इसको पसन्द करता हूं कि मेरा अमल इस हाल में पेश हो कि मेरा रोज़ा हो और रमज़ान शरीफ़ के रोज़े रखकर ईद के महीने में छः रोज़े रख लेने से पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलता है।

हदीस शरीफ़ में यह भी है कि बक़रीद की पहली तारीख़ से 8 तारीख़ तक रोज़े रखने से हर रोज़े का सवाब इस साल के रोज़ों के बराबर है और बक़रीद की नवीं तारीख़ को रोज़े के बारे में आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मैं अल्लाह से यह पक्की उम्मीद रखता हूं कि इस रोज़े की वजह से एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाहों का कफ़्फ़ारा फ़रमा देंगे और मुहर्रम की दसवीं तारीख़ के बारे में फ़रमाया कि इस रोज़े के बारे में अल्लाह से यह पक्की उम्मीद रखता हूं कि

इसकी वजह से एक साल पहले के गुनाह माफ़ फ़रमा देंगे। (इससे छोटे गुनाह मुराद हैं और वही ज़्यादा होते हैं, ज़रा-सी भूख-प्यास बरदाश्त करने पर इतना बड़ा इनाम अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है?)

शबे बरात के बारे में हदीस शरीफ़ में आया है कि जब शबे बरात के महीने की पन्द्रहवीं रात हो, (नफ़्ल) नमाज़ में खड़े रहो और सुबह को रोज़ा रखो। चांद की हर तेरहवीं, चौदहवीं, और पन्द्रहवीं तारीख़ को रोज़ा रखने की बड़ी फ़ज़ीलत आई है। हमने नफ़्ल रोज़ों की फ़ज़ीलतें लिख दी हैं, जिससे जितना हो सके और जितनी हिम्मत कर सके, अमल करे।

तंबीह—हर महीने की औरतों वाली मजबूरी की वजह से जो रमज़ान शरीफ़ के रोज़े छूट जाते हैं, उनको जल्द से जल्द क़ज़ा रख लो। बहुत-सी औरतें इसमें सुस्ती करती हैं और फिर हर साल के बहुत-से रोज़े जमा हो जाते हैं, तो क़ज़ा रखने की हिम्मत नहीं पड़ती और मौत आ घेरती है, गुनहगार मरती हैं।

तंबीह—फ़र्ज़ रोज़ा हो या नफ़्ल रोज़ा, हर सूरत में रोज़े की इज़्ज़त करो, यानी रोज़ा रखकर ग़ीबत, झूठ, चुग़ली, गाली और ग़ैर-मर्द को देखने से परहेज़ करो और हर गुनाह से बचो। यों तो गुनाह हर हाल में बुरा और बरबाद करने वाला है, पर रोज़े की हालत में गुनाह करने से रोज़े की बरकत और रौनक़ और उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है और सवाब भी काफ़ी घट जाता है। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिनको भूख और प्यास के

अलावा कुछ हासिल नहीं, क्योंकि वे रोज़े का फ़ायदा और सवाब ग़ीबत, झूठ, चुग़ली और दूसरे गुनाहों में पड़ कर खो देते हैं और यह भी फ़रमाया है कि जो (रोज़ा रखकर) झूठी बातों और ख़राब कामों को न छोड़े, तो अल्लाह को इसकी कुछ ज़रूरत नहीं कि वह आदमी अपना खाना-पीना छोड़ दे।

मस्अला—रोज़े में मिस्वाक करना, सुरमा लगाना, तेल लगाना दुरुस्त है।

मस्अला—अगर रात को ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाए और सुबह होने से पहले ग़ुस्ल न कर सको तो उसी हालत में रोज़े की नीयत कर लो और सुबह होने पर सूरज निकलने से पहले-पहले ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ लो।

मस्अला—अगर किसी पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो और उसने रोज़े की नीयत कर ली और रोज़ा रख लिया और दिन भर ग़ुस्ल न किया और न नमाज़ पढ़ी, तब भी रोज़ा हो जाएगा और रोज़ा छोड़ने का गुनाह न होगा, अलबत्ता नमाज़ छोड़ने का गुनाह होगा।

छठा सबक़

दीन का सीखना और सिखाना

यह तो सब जानते हैं अमल बग़ैर इल्म के नहीं हो सकता और जब बन्दे ने कलिमा तैयिबा का इक़रार कर लिया और अपने आपको अल्लाह के हुक्मों का पाबन्द बना लिया और अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारने का अह्द कर लिया, तो अब उसके ज़िम्मे यह लाज़िम हो गया कि अल्लाह के दीन यानी इस्लाम के अक़ीदों और हुक्मों को सीखे और मालूम करे। ऐसे आदमियों के पास उठना-बैठना रखे जो इस्लाम को ख़ूब जानते हैं। आजकल बड़े-बड़े स्कूल और कालेज खुल गए हैं और उनमें दुनिया भर की बातें सिखाई और पढ़ाई जाती हैं और तरह-तरह की रिसर्च कराई जाती है, मगर इन मालूमात से आदमी को न अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा होता है, न मरने के बाद पेश आने वाले हालात मालूम होते हैं, न वहां की तैयारी की फ़िक्र होती है, बीस-बीस साल पढ़ते हैं, मगर दुआ-ए-क़ुनूत और अलहम्दु शरीफ़ भी याद नहीं होती और कैसे याद हो जबकि स्कूलों और कालेजों की असली ग़रज़ व ग़ायत दीनी तालीम नहीं है।

जब किसी ने दीन न सीखा और इसके अलावा सारी दुनिया की बातें सीख लीं, तो अल्लाह के नज़दीक वह इल्म फ़ायदेमन्द नहीं हुआ, अल्लाह को वही इल्म पसन्द है जो अल्लाह तक पहुंचाए और इंसान को ख़ुदा के हुक्मों पर चलाए और जिससे आख़िरत की ज़िंदगी दुरुस्त हो जाए। दीन का इतना इल्म हासिल करना जिससे अपना

दीन दुरुस्त हो सके, हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, आपस के मामले, रहन-सहन, और खाने-पीने, उठने-बैठने, सोने-जागने और उनके अलावा ज़िंदगी की तमाम हालतों के हुक्मों को मालूम करो जो क़ुरआन व हदीस में बताए गए हैं। बहुत से मर्द व औरत बचपन में दीन सीखते नहीं और बड़े होकर लिहाज़ की वजह से नहीं पूछते और उम्र भर जाहिल रहते हैं और अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलते हैं, ऐसे लोगों को समझा कर दीन सीखने पर तैयार करो और ख़ुद भी सीखो।

जिनकी उम्रें बड़ी हो गईं, उनके दीन सीखने और सिखाने की तर्कीब यह है कि हर दिन वरना कम से कम हफ़्ते में एक दिन तय करके वक़्त की पाबन्दी के साथ किसी मुक़र्रर मकान में घर-घर से आकर जमा हुआ करें और एक दूसरे को सीखने-सिखाने में लग जाया करें, ज़ुबानी तालीम भी करें और किताबी तालीम भी।

ज़ुबानी तालीम

ज़ुबानी तालीम यह है कि जिसको कलिमा याद न हो, उसको कलिमा याद करा दें, जिसे नमाज़ याद न हो, उसे नमाज़ सिखा दें, बार-बार कहलावे और जिसे याद हो, वह अनजान को हक़ीर न समझे, न अपनी फ़ज़ीलत जताए, न ऐसे अन्दाज़ से बात करे, जिससे किसी का दिल दुखे, आपस में नमाज़ और वुज़ू के फ़र्ज़ों सुन्नतों का ज़िक्र छेड़ें, पूछ-गछ करें, जिसे मालूम न हो, बताएं, दीन पर चलने की ताकीद करें, ख़ुदा का ख़ौफ़ दिलों में बिठाएं। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और

सहाबा किराम रज़ि० और दीन के बुज़ुर्गों के क़िस्से सुनाएं।

किताबी तालीम यह है कि दीनी किताबों में से कोई किताब लेकर पढ़ी जाए। एक पढ़े और बाक़ी सब ग़ौर व फ़िक्र के साथ सुनें, बात सुनते ही अमल शुरू कर दें। किताबें बहुत-सी छप गई हैं। हम कुछ किताबों के नाम लिखते हैं। उनको मंगा कर सुनो और पढ़ो और सबको सुनाओ और ख़ूब समझा कर आगे दूसरा मज़्मून शुरू करो। किताबों के नाम इस तरह हैं—

1. नबी सल्ल० की नसीहतें, 2. परदे की हक़ीक़त, 3. उम्मते मुस्लिमा की माएं, 4. रसूलुल्लाह सल्ल० की साहबज़ादियां, 5. हिकायाते सहाबा रज़ि०, 6. सीरते ख़ातमुल अंबिया, 7. रहमते आलम, 8. तब्लीग़े दीन, 9. बेहतरीन जहेज़, 10. तालीमुद्दीन, 11. फ़ज़ाइले नमाज़, 12. फ़ज़ाइले तब्लीग़, 13. फ़ज़ाइले सदक़ात (दोनों हिस्से) 14. फ़ज़ाइले हज, 15 फ़जाइल क़ुरआन मजीद, 16 ख़ुदा का ज़िक्र, 17. हयातुल मुस्लिमीन, 18. आदाबुल मुआशरत, 19. अग़लातुल अवाम, 20. इकरामुल मुस्लिमीन, 21. मरने के बाद क्या होगा? 22. फ़ज़ाइले रमज़ान, 23. ख़ुदा की जन्नत, 24. दोज़ख़ का खटका, 25. जन्नत की कुंजी, 26. रसूलुल्लाह की पेशीनगोइयां, 27. अरकाने इस्लाम, 28. इस्लाम क्या है? 29. सियरुस्सहाबियात, 30. उस्वा-ए-सहाबियात, 31. इस्लाहुर्रसूम, 32. इस्लाहे मुआशरत, 33. मस्नून और मक़्बूल दुआएं, 34. फ़ुरूउल ईमान, 35. मआरिफ़ुल हदीस (सब हिस्से), 36. कस्बे हलाल व अदा-ए-हुक़ूक़, 37. फ़ज़ाइले सलात व सलाम, 38. जज़ाउल आमाल, 39. इख़्लासे नीयत, व बिल्लाहित्तौफ़ीक़

सातवां सबक़

बच्चों की तालीम व तर्बियत

बच्चों की तालीम और तर्बियत यानी उनको दीन का इल्म सिखाने और दीन का अमल करके दिखाने और अमल का शौक़ पैदा करने का सबसे पहला मदरसा उनका अपना घर और मां-बाप की गोद है। मां-बाप, अज़ीज़ क़रीब, बच्चों को जिस सांचे में चाहें, ढाल सकते हैं और जिस रंग में चाहे रंग सकते हैं। बच्चे का संवार और बिगाड़, दोनों घर से चलते हैं। बच्चों की तालीम व तर्बियत के असली ज़िम्मेदार मां-बाप ही हैं। बचपन में मां-बाप उनको जिस रास्ते पर डाल देंगे और जो तरीक़ा भला या बुरा सिखा देंगे, वही उनकी सारी ज़िंदगी की बुनियाद बन जाएगा।

आजकल मां-बाप अपनी औलाद को दुनिया हासिल होने वाला इल्म सैंकड़ों और हज़ारों रुपए ख़र्च करके सिखाते हैं और कुछ तो कोई दूसरा हुनर सीखने के लिए किसी कारख़ाने में बच्चे को पहुंचा देते हैं, मगर दीन की बातें और दीनी अक़ीदों और दीनी तरीक़ों के सिखाने को ज़रूरी नहीं समझते। अगर किसी ने बहुत ही दीनदारी का ख़्याल किया, तो ज़रा बहुत कोई बात सिखा कर या छोटे से मक्तब में एक दो बरस पढ़वा कर आगे दुनिया कमाने में लगा दिया और दीन की बहुत ज़रूरी बातों से महरूम कर दिया। बच्चे के दिल में ख़ुदा का ख़ौफ़, ख़ुदा की मुहब्बत और आख़िरत की फ़िक्र, इस्लाम के हुक्मों के सीखने-सिखाने

और इसी को ज़िंदगी का मक़्सद बना लेने का जज़्बा पैदा हो जाने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसको नेक आलिमों और हाफ़िज़ों की सोहबतों में दीन की तालीम दिलाओ, क़ुरआन शरीफ़ हिफ़्ज़ कराओ, क़ुरआन व हदीस के मानी और मतलब समझने के लिए अरबी पढ़ाओ, अपनी औलाद को नमाज़ की पाबन्दी, हलाल कमाई, इबादते इलाही, ख़ुदा की याद, क़ुरआन मजीद की तिलावत, हराम से परहेज़, अमानतदारी, हया-शर्म, सख़ावत, सब्र, शुक्र, हिल्म, बन्दों के हक़ों की अदाएगी, वायदे का पूरा करना और इसी तरह के दूसरे अच्छे काम सिखाओ।

अगर तुम्हारा लड़का दीन के तरीक़े पर चलकर दोज़ख़ से बच गया और दुनिया में भूखा रहा, तो यह बड़ी कामियाबी है और अगर उसने लाखों रुपए कमाए और बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाईं, मगर अल्लाह से दूर रहकर और गुनाहों में पड़कर दोज़ख़ मोल ली, तो दौलत और जायदाद बेकार, बल्कि उसके लिए वबाल ही वबाल है।

औरतों की बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि अपनी औलाद को दीनदार बना दें और दोज़ख़ से बचा दें। हर बच्चा कम से कम 9-10 साल तो अपनी मां के पास ही रहता है, इस उम्र में उसे दीन की बातें सिखा दो और दीनदार बना दो। अगर औलाद दीनदार होगी तो तुम्हारे लिए दुआ करेगी और जो इल्म तुमने सिखाया था, उस पर अमल करेगी, तो तुमको भी अज्र व सवाब मिलेगा। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है जब इंसान मर जाता है, तो उसके सब काम

ख़त्म हो जाते हैं और उनका सवाब भी ख़त्म हो जाता है, सिवाए तीन कामों के (कि उनका सवाब मिलता रहता है) वे तीन काम ये हैं–

1. सदक़ा जारिया, (जैसे दीनी तालीम का मदरसा क़ायम किया या मस्जिद बनवा दी या कोई मुसाफ़िरख़ाना बना दिया),
2. वह इल्म जिससे दीनी नफ़ा हासिल किया जाता हो,
3. वह नेक औलाद, जो उसके लिए दुआ करती हो और ज़ाहिर है कि मां-बाप के लिए दुआ-ख़ैरात वही लोग करते हैं जो दीनदार और आख़िरत के फ़िक्रमन्द होते हैं।

दीन के फैलाने में हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने की औरतों का बड़ा हिस्सा है, ख़ुद भी इस्लाम पर अमल करती थीं और अपनी औलाद को भी दीन पर चलाती थीं और अपने लड़कों को दीन के लिए जान देने और दीन पर क़ुर्बान होने के लिए परवरिश करती थीं।

एक सहाबी हज़रत अनस रज़ि० थे। उनकी मां ने उनको समझा-बुझा कर हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में लगा दिया। उस वक़्त उनकी उम्र छोटी थी। दस वर्ष उन्होंने हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत की और बहुत बड़े आलिम हुए। सहाबी औरतों में दीन सिखाने के बड़े जज़्बे थे और उनके बाद वाली औरतों में भी इस्लाम की तालीमों को रिवाज देने और अपने अज़ीज़ बच्चों को दीन सिखाने का इस क़दर ख़्याल था कि उनके घर से उनके बेटे

या भाई दीन का इल्म पढ़ने के लिए सफ़र को जाने लगते तो उनकी जुदाई पर ज़रा ग़म न करती थीं और उनके ख़र्च के लिए अपना ज़ेवर तक दे देती थीं।

इमाम बुख़ारी रह० को तो सब जानते हैं। हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। जब उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करने का इरादा किया, तो उनकी मां और बहन ने ख़र्च की ज़िम्मेदारी ली और एक बहुत बड़े आलिम क़ाज़ीज़ादा रूमी गुज़रे हैं, जब उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र का इरादा किया तो उनकी बहन ने अपना बहुत-सा ज़ेवर उनके सामान में छिपा कर रख दिया।

और एक बड़े आलिम इमाम रबीआ रह० गुज़रे हैं। उनके बाप एक मुसलमानी हुकूमत की फ़ौज में मुलाज़िम थे। उस ज़माने में मुसलमानों की फ़ौजें इस्लाम को बुलन्द करने के लिए काफ़िरों से लड़ा करती थीं। इमाम रबीआ रह० के वालिद बादशाही हुक्म से बहुत-सी लड़ाइयों पर भेज दिए गए। उस वक़्त इमाम रबीआ रह० मां के पेट में थे। चलते वक़्त उनके वालिद ने अपनी बीवी को तीस हज़ार सोने की अशर्फ़ियां ख़र्च में लाने के लिए दी थीं। ख़ुदा का करना ऐसा हुआ कि उनको लड़ाइयों में सत्ताईस वर्ष लग गए और पीछे ही बच्चा पैदा हुआ और उसने हदीसों का इल्म हासिल किया और फिर हदीसें पढ़ाने का उस्ताद बन गया। वह तीस हज़ार अशर्फ़ियां मां ने अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलाने पर ख़र्च कर दीं।

अब जो सत्ताईस वर्ष के बाद इमाम रबीआ रह० के वालिद

घर को लौटे तो बीवी से पूछा कि उन अशर्फ़ियों का क्या हुआ? बीवी ने कहा, हिफ़ाज़त से रखी हैं। फिर जब वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए तो देखा कि मेरा बेटा मस्जिद में हदीसें पढ़ा रहा है और दुनिया उसकी शागिर्द बनी हुई है। यह माजरा देखकर ख़ुशी से फूले न समाए। जब घर में आए तो बीवी ने पूछा, तीस हज़ार अशर्फ़ियां अच्छी हैं या यह नेमत बेहतर है। कहने लगे, हदीसों के इल्म के सामने उन अशर्फ़ियों की कुछ हक़ीक़त नहीं। शौहर का यह जवाब सुनकर कहने लगीं कि वे अशर्फ़ियां मैंने इस नेमत के हासिल करने में ख़र्च कर डालीं। शौहर ने बहुत ज़्यादा ख़ुश होकर कहा कि ख़ुदा की क़सम! तूने वे अशर्फ़ियां बर्बाद नहीं की हैं।

हज़रत पीराने पीर शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को अक्सर मुसलमान जानते हैं। उन्होंने जब कम उम्री में इल्म के लिए सफ़र करने का इरादा किया तो उनकी वालिदा साहिबा ने चालीस अशर्फ़ियां उनकी अचकन की आस्तीन में बग़ल के पास इस तरह सी दीं कि वे बग़ल में छिप गईं। उनके पास सिर्फ़ यही अशर्फ़ियां थीं और कुछ भी न था और शौहर भी ज़िंदा न थे। उनके दिल में दीन की बड़ी क़द्र थी। कम उम्र बच्चे को दीन सीखने के लिए दूर भेजने पर भी दिल को राज़ी कर लिया और जो कुछ पास था, यानी चालीस अशर्फ़ियां, वे भी बच्चे को दे दीं और अपने लिए सिवाए ख़ुदा के नाम के कुछ भी न रखा।

चलते वक़्त बच्चे को ख़ुदा के सुपुर्द किया और यह

नसीहत की कि बेटा जब बोलो, सच बोलो। हज़रत पीराने पीर शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी माँ की नसीहत गिरह बांधकर घर से निकले और एक क़ाफ़िले के साथ शहर बग़दाद का रुख़ किया, रास्ते में डाकू मिल गए, जिन्होंने क़ाफ़िले को लूट लिया और सामान छीन लिया। एक डाकू ने हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि का सामान भी छीन लिया और फिर पूछा कि तुम्हारे पास और क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि चालीस अशर्फ़ियां और हैं जो आस्तीन में सिली हुई हैं। यह जवाब डाकू ने सुना तो समझा, लड़का मज़ाक़ कर रहा है, कहने लगा, क्या मज़ाक़ करते हो? हज़रत शेख़ रह० ने फ़रमाया, मैं मज़ाक़ नहीं करता, सच कहता हूं। इनके बाद दूसरे डाकू से सवाल व जवाब हुआ, उसने भी एक तो उनकी बात को मज़ाक़ समझा, फिर कुछ ख़्याल आया तो हज़रत शेख़ रह० को अपने सरदार के पास ले गया। सरदार से बात-चीत हुई। बातों-बातों में उसने पूछा कि आपके पास अशर्फ़ियां कहां हैं? हज़रत शेख़ रह० ने फ़रमाया, ये आस्तीन में हैं सिली हुई? डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम अजीब सीधे आदमी हो। ऐसी क़ीमती छिपी हुई चीज़ को भला यों बताते हो? हज़रत शेख़ रह० ने फ़रमाया, मुसलमान को हमेशा सच बोलना चाहिए, वह क्या मुसलमान जो झूठ बोले? हज़रत शेख़ रह० का यह फ़रमाना था कि उस सरदार पर बहुत असर हुआ। शर्मिन्दगी से सर झुका लिया और फिर अपने तमाम आदमियों के साथ जो डाका डालने में उसके साथी थे, हज़रत शेख़ रह० के हाथ पर

बैअत हुआ और तमाम गुनाहों से तौबा की और सारे क़ाफ़िले का जो जो सामान लूटा था, वापस कर दिया।

देखा! एक बूढ़ी मां की नसीहत का असर और बच्चे को दीन पर डालने का नतीजा कि सब डाकुओं ने लूट से तौबा की और सारे क़ाफ़िले का सामान मिल गया। आगे चलकर हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े आलिम् और वली और बुज़ुर्ग हुए, तमाम उम्मत उनकी बुज़ुर्गी की क़ायल है।

आठवां सबक़

अल्लाह का ज़िक्र

अल्लाह के ज़िक्र का ऊंचा दर्जा यह है कि हर वक़्त अल्लाह की तरफ़ ध्यान रहे और उसकी याद दिल में बसी रहे। जिन बन्दों ने ज़िक्र का नफ़ा समझ लिया है और जिनको उनकी फ़ज़ीलतें मालूम हो गई हैं, वे उम्र का ज़रा-सा हिस्सा भी ख़ुदा की याद से ख़ाली नहीं जाने देते हैं। अल्लाह का नाम लेना और अल्लाह का ज़िक्र करना बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ीलत रखता है। एक सहाबी रज़ि० को हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नसीहत फ़रमाई कि तेरी ज़ुबान हर वक़्त अल्लाह की याद में तर रहे। (यह बेहतर है)

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ औरतों को नसीहत करते हुए फ़रमाया कि سُبْحَانَ اللهِ 'सुब्हानल्लाह' और لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' और سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ 'सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दुस' पढ़ती रहा करो और उंगलियों पर पढ़ा करो, क्योंकि उंगलियों से पूछा जाएगा और उनको ज़ुबान दी जाएगी और ग़ाफ़िल मत हो जाओ, वरना रहमत से भुला दी जाओगी।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि इंसान की हर बात उसके लिए वबाल है, नफ़ा की चीज़ नहीं है, सिवाए इसके कि किसी को अच्छी बात बता दे या

बुराई से रोके या अल्लाह का ज़िक्र करे और हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा मत बोला करो, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र के अलावा ज़्यादा बोलने से दिल सख़्त हो जाता है और बिला शुब्हा अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर वही है जिसका दिल सख़्त हो।

इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करे, हर आदमी अपनी फ़ुर्सत और मश्ग़ूलियत के एतबार से अल्लाह के ज़िक्र में जितना भी वक़्त गुज़ारे, थोड़ा है, पर इतना तो सब ही कर सकते हैं कि सुबह-शाम सौ-सौ बार तीसरा कलिमा और दरूद शरीफ़ और इस्तग़्फ़ार पढ़ लिया करें।

1. तीसरा कलिमा 'सुब-हानल्लाहि वलहम्दु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर'

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

2. दरूद शरीफ़ (जोन-सा भी पढ़े, चाहे उसको याद कर ले) अल्लाहुम-म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदि-निन्नबीयिल उम्मीयि व अला आलिही व सह्बिही व बारिक व सल्लिम०

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

3. इस्तग़्फ़ार, जैसे यह पढ़े 'अस्तग़्फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूमु व अतूबु इलैहि०

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ۔

इन चीज़ों की बड़ी फ़ज़ीलतें हदीसों में आई हैं। पहली चीज़ यानी तीसरे कलिमे के बारे में हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि अगर मैं उसको एक बार पढ़ दूं तो जितनी चीज़ों पर सूरज निकलता है, मुझे उसका एक बार पढ़ देना उन सब चीज़ों से प्यारा है और भी उसकी फ़ज़ीलतें बहुत आई हैं और दरूद शरीफ़ के बारे में हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमाएंगे और दस नेकियां उसके आमालनामे में लिख दी जाएंगी और उसके दस गुनाह आमालनामे से कम कर दिए जाएंगे और उसके दस दर्जे बुलन्द कर दिए जाएंगे।

इसलिए जिस क़दर भी हो सके, इन तीनों चीज़ों में लगे रहना चाहिए और इनके अलावा क़ुरआन मजीद की तिलावत में अपना वक़्त लगाया करो। उठते-बैठते, चलते-फिरते, काम-काज करते हुए भी अल्लाह का ज़िक्र हो सकता है और बड़े दर्जे हासिल हो सकते हैं।

क़ुरआन मजीद की तिलावत का भी बड़ा सवाब है। रोज़ाना तै करके एक पारा, दो पारा, आधा पारा की तिलावत ज़रूर किया करो। हदीस शरीफ़ में आया है कि क़ुरआन मजीद की तिलावत करने से हर हर्फ़ (अक्षर) पर दस नेकियां मिलती हैं। अगर किसी ने एक बार सिर्फ़ अलिफ़-लाम-मीम कहा, तो उसको

तीस नेकियां मिल गईं।

कुछ सूरतों की ख़ास फ़ज़ीलतें

हदीस शरीफ़ में आया है कि एक बार सूरः 'क़ुल हुवल्लाहु अहद' पढ़ने से तिहाई क़ुरआन शरीफ़ के पढ़ने का सवाब मिलता है और सूरः 'क़ुल या ऐयुहल काफ़िरून' एक बार पढ़ने से चौथाई क़ुरआन शरीफ़ का सवाब मिलता है और जिसने यासीन शरीफ़ एक बार पढ़ ली, तो उसको दस बार पूरा क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर कोई सुबह को सूरः यासीन शरीफ़ पढ़ ले तो शाम तक उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी। रात को सूरः वाक़िया पढ़ने से कभी फ़ाक़ा न होगा।

अक्सर आदमियों और ख़ास कर औरतों की आदत होती है कि जहां दो चार मिलकर बैठीं, तेरी-मेरी बुराई शुरू कर दी, ग़ीबत करके गुनाह कमाती हैं, यह बहुत बुरा रोग है।

अपनी कोई मज्लिस अल्लाह की याद से ख़ाली न जाने दो। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जो लोग किसी मज्लिस में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र किए बग़ैर खड़े हो गए, वे ऐसे हैं जैसे मुरदार गधे को खाते से उठे और यह मज्लिस उनके लिए हसरत की वजह बनेगी। हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करो। हदीसों में जो हर वक़्त की दुआएं आई हैं, जैसे सोते वक़्त की और सोकर उठने और सुबह की और शाम की, वुज़ू करते वक़्त की, खाने के बाद की, कपड़ा पहनने की और चांद देखने की, आईना में मुंह देखने की और दूसरे वक़्तों की, उनको याद करके ध्यान से पढ़ा करो, ऐसा करने से

हर वक़्त अल्लाह को याद करने की मश्क़ हो जाएगी। ऐसी दुआएं हमने एक किताब में जमा कर दी हैं, जिसका नाम 'मसनून दुआएं' है।

मस्अला—यह जो मशहूर है कि ज़वाल के वक़्त और सूरज निकलते और सूरज छिपते वक़्त क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना या ज़िक्र में मश्गूल रहना मना है, यह ग़लत है। हां, इन वक़्तों में नमाज़ पढ़ना मना है।

मस्अला—तीसरा कलिमा, पहला कलिमा, दरूद शरीफ़, इस्तग़फ़ार, बे-वुज़ू पढ़ना दुरुस्त है, बल्कि जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो, इन चीज़ों का पढ़ना उसके लिए भी दुरुस्त है।

मस्अला—क़ुरआन शरीफ़, बिला वुज़ू ज़ुबानी पढ़ना दुरुस्त है और बिला वुज़ू क़ुरआन शरीफ़ का छूना दुरुस्त नहीं और जिस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो, उसको न क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने की इजाज़त है, न क़ुरआन शरीफ़ छूने की।

Maktaba Ashraf

नवां सबक़

हुक़ूक़ुल इबाद

(यानी बन्दों के हुक़ूक़ के बारे में ताकीद)

जब आदमी दुनिया में आता है, तो चाहे मर्द हो या औरत, उसे दूसरे इंसानों के साथ मिलकर रहना पड़ता है और शरीअत का हुक्म है कि सबके हक़ों का ध्यान करो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताए हैं। एक दूसरे का हक़ मारने और आगे या पीछे बे-आबरू करने से या किसी का पैसा रख लेने से क़ियामत में बड़ी मुसीबत का सामना होगा।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिसने अपने किसी भाई पर ज़ुल्म कर रखा हो कि उसकी बे-आबरूई की हो या और किसी क़िस्म का हक़ मारा हो तो आज ही उस दिन से पहले जब न अशर्फ़ी पास होगी, न रुपया पास होगा कि (हक़ अदा करके या माफ़ी मांग कर) उससे अपनी जान छुड़ा ले। (यहां सफ़ाई न की तो) अगर नेक अमल होंगे तो ज़ुल्म के बराबर लेकर उसे दे दिए जाएंगे जिसका हक़ मारा है और उसकी नेकियां न होंगी, तो जिस पर ज़ुल्म हुआ है, उसकी बुराइयां लेकर ज़ालिम पर डाल दी जाएंगी।

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि सिर्फ़ पैसा-रुपया रख लेना ही ज़ुल्म नहीं है, बल्कि गाली देना, तोहमत लगाना,

ग़ीबत करना, बे-जा मारना, बे-आबरूई करना भी जुल्म और हक़तलफ़ी है। बहुत से लोग अपने को दीनदार समझते हैं, मगर इन चीज़ों से ज़रा नहीं बचते। यह याद रखो कि अल्लाह अपने हक़ को तौबा और इस्तग़फ़ार करने से माफ़ फ़रमा देते हैं, मगर बन्दों का जो हक़ मारा है और बन्दों पर जो जुल्म किया है, उनकी माफ़ी जब ही होगी जबकि हक़ अदा कर दे या इसी दुनिया में माफ़ी मांग ले।

हज़रत सुफ़ियान सौरी रह० ने फ़रमाया कि अगर इंसान अल्लाह की सत्तर नाफ़रमानियां करके क़ियामत में पहुंचे, तो यह जुर्म इससे बहुत हल्का है कि किसी बन्दे का एक हक़ लेकर हश्र के मैदान में जावे। इस वजह से कि अल्लाह बेनियाज़ है वह माफ़ कर सकते हैं, मगर ये बन्दे आजिज़ और बेचारे हैं, क़ियामत में बहुत ही बेबस होंगे और ज़रा-ज़रा सा सहारा तलाश करते होंगे, इसलिए बन्दों के हक़ों का ध्यान रखना और उनसे पाक व साफ़ होकर रहना सख़्त ज़रूरी है, क्योंकि बन्दे अपनी हाजत की वजह से माफ़ नहीं करेंगे।

एक हदीस शरीफ़ में है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सहाबियों रज़ि० से पूछा, क्या तुम जानते हो, मुफ़्लिस यानी ग़रीब और तंगदस्त कौन है। उन्होंने अर्ज़ किया, हम तो उसे ग़रीब समझते हैं जिसके पास रुपया, पैसा और माल न हो।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यक़ीन जानो, असली ग़रीब मेरी उम्मत में से वह है जो

क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़े और ज़कात की पूंजी लेकर आएगा और इस हाल में भी आएगा कि दुनिया में किसी को गाली दी होगी और किसी को तोहमत लगाई होगी और किसी का माल खाया होगा, किसी का ख़ून बहाया होगा और किसी को (नाहक़ मारा होगा) इसलिए उसकी नेकियों में से कुछ इसको दिलवा दी जाएंगी और कुछ उसको दिला दी जाएंगी। अगर हक़ अदा होने से पहले उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो हक़दारों के गुनाह लेकर हक़ तलफ़ करने वालों के सर डाल दिए जाएंगे, फिर उसको दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा।

ग़रज़ यह कि बन्दों के हक़ों का मामला बड़ा सख़्त है। बन्दों के हक़ मारे जाने से यानी किसी की बे-आबरूई करने, ग़ीबत करने और बोहतान बांधने, बे-इजाज़त कोई चीज़ ले लेने और मुक़दमा लड़कर ज़मीन या जायदाद दबा लेने या रिश्वत या सूद लेने या क़र्ज़ लेकर रख लेने या अमानत में ख़ियानत करने या यतीम का माल खाने या मस्जिद या मदरसा की वक़्फ़ आमदनी अपने काम में लाने या किसी को नाहक़ मारने और हर तरह के ज़ुल्म करने और हक़ मारने से बचो और सबको बचाओ।

अपने बच्चों को भी ये बातें ख़ास तौर से समझा दो, जिनका हमने इस सबक़ में ज़िक्र किया है। इस ज़माने में चूंकि लोगों में आख़िरत की फ़िक्र नहीं है और बद-दीनी की फ़िज़ा है, इसलिए किसी पर ज़ुल्म करने या किसी का हक़ मारने से नहीं बचते हैं, अल्लाह हमको उनमें से न करे।

मस्अला—अगर किसी का तुम पर कोई हक़ था और उसकी

वफ़ात हो गई तो उसके वारिसों को उसका हक़ पहुंचा दो।

मसुअला—अगर कोई आदमी अपना हक़ और क़र्ज़ वग़ैरह भूल गया, जो उसका तुम्हारे ज़िम्मे है या याद तो है मगर दबाव या लिहाज़ से नहीं मांगता तो उसका दबा लेना दुरुस्त नहीं, ख़ुद अदा कर दो। अगर दूर है तो डाक के ज़रिए या किसी आदमी के ज़रिए पहुंचा दो।

Maktab Ashraf

दसवां सबक़

ख़िदमते ख़ल्क़ (जन-सेवा) और राहत पहुंचाना

पिछले सबक़ में उन हक़ों के बारे में हमने तवज्जोह दिलाई है, जिनका अदा करना फ़र्ज़ और सख़्त ज़रूरी है, जिनके मारने पर अपनी नेकियां दूसरों को मिल जाने का क़ानून हदीसों में आया है, अब इस सबक़ में हम यह बताना ज़रूरी समझते हैं कि ख़ुदा की सारी मख़्लूक़ की ख़िदमत बड़े मर्तबे और सवाब का काम है। जो हक़ हम पर फ़र्ज़ है, उनके अलावा भी जहां तक हो सके, जान व माल से सबकी ख़िदमत करो, सबके आराम व राहत का ख़्याल करो, किसी को तक्लीफ़ न पहुंचाओ, सबके साथ आजिज़ी से पेश आओ, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो, मुहताज की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़ा दो, रास्ते से तक्लीफ़ देने वाली चीज़ों को हटा दो, मामूली सी चीज़ों के ख़र्च से कभी हाथ न रोको, जैसे आग, नमक, दियासलाई, सूई-धागा वग़ैरह। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मख़्लूक़ अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह का सबसे ज़्यादा प्यारा बन्दा वह है जो उसके कुंबे के साथ अच्छी तरह पेश आए।

अच्छी तरह पेश आने में सब बातें आ गईं। दीनदारी की बात यह है कि जिस-जिस से वास्ता पड़ता है, उस वक़्त के

मुनासिब जो बेहतरीन बर्ताव हो, उसी तरह पेश आए। कुछ चीज़ें हम लिखते हैं–

1. जो अपने लिए पसन्द करो, वही सबके लिए पसन्द करो। जो अपने लिए नापसन्द करो, उसे सबके लिए नापसन्द करो।

2. जब किसी मज्लिस में पहुंचो तो दो आदमियों के दर्मियान बग़ैर उनकी इजाज़त के न बैठो और गरदनों से कूद कर मत आओ-जाओ।

3. बग़ैर इजाज़त किसी के घर में मत दाख़िल हो जाओ और दाख़िले की इजाज़त मिलने से पहले उसके घर में नज़र भी न डालो।

4. सबके साथ नर्मी से पेश आओ, सख़्ती से जवाब न दो।

5. ज़रूरतमंद के लिए सिफ़ारिश कर दो।

6. किसी में ऐब न निकालो, जब मालूम हो जाए, तो मत फैलाओ।

7. क़र्ज़ अदा करने में जल्दी करो और तुम्हारा क़र्ज़ किसी पर हो, तो वसूल करने में सख़्ती न करो, तंगदस्त हो तो मोहलत दे दो।

8. दूसरे के भाव पर भाव न करो।

9. जहां किसी के लड़के या लड़की की बात-चीत हो रही हो, उसका फ़ैसला होने तक अपने लड़के या लड़की के लिए पैग़ाम न भेजो।

10. मरीज़ की देख-भाल करो, यानी उसका हाल मालूम करने के लिए जाओ।

11. किसी का मज़ाक़ न उड़ाओ।

12. यतीम पर रहम करो।

13. किसी को उठाकर ख़ुद उसकी जगह न बैठो।

14. सब छोटों-बड़ों को सलाम करो।

15. हदिया लिया-दिया करो।

16. जब कोई मुसलमान तुमसे मिलने या बात करने के लिए आए तो उसके एहतराम के लिए अपनी जगह से ज़रा हट जाओ।

ये सब बातें हदीसों में आई हैं।

Maktab Ashraf

ग्यारहवां सबक़

मां-बाप के हक़ और उनकी ख़िदमत

मां-बाप के बड़े हक़ होते हैं। अल्लाह ने क़ुरआन में कई जगह मां-बाप के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म फ़रमाया है और पंद्रहवें पारे में फ़रमाया है कि मां-बाप को उफ़ भी न कहो और न उनको झिड़को और उनसे अदब के साथ बात करो और उनके आगे आजिज़ी का बाज़ू रहमत के साथ झुकाए रखो और उनके लिए यों दुआ करो कि ऐ मेरे रब! मेरे मां-बाप पर रहम फ़रमा, जैसा कि उन्होंने छुटपने में मेरी परवरिश की है।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बड़े गुनाह ये हैं—

1. किसी को ख़ुदा के साथ शरीक करना,
2. मां-बाप को सताना,
3. ना-हक़ किसी को क़त्ल करना,
4. झूठी क़सम खाना।

एक साहब ने हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! मां-बाप का औलाद पर क्या हक़ है?

आपने फ़रमाया, वह तेरी जन्नत और दोज़ख़ हैं (यानी चाहे तू उनको सता कर और उनकी नाफ़रमानी करके दोज़ख़ में चला जा और चाहे तू उनकी ख़िदमत करके उनको ख़ुश रखकर जन्नत

में चला जा।)

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह भी इर्शाद है कि अल्लाह की रज़ामंदी मां-बाप की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़ी मां-बाप की नाराज़ी में है और यह भी फ़रमाया है कि सारे गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह जिसको चाहते हैं, माफ़ फ़रमा देते हैं, सिवाए मां-बाप के सताने के कि उसकी सज़ा मरने से पहले जल्द दे देते हैं।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि जो कोई अपने मां-बाप की तरफ़ एक बार रहमत की नज़र से देखे, अल्लाह उसके लिए हर नज़र के बदले एक मक़्बूल हज लिख देंगे। सहाबियों रज़ि० ने पूछा कि अगर कोई सौ बार हर दिन रहमत की नज़र से देखे, तब भी यही बदला है? आपने फ़रमाया, (इसमें क्या शक है) अल्लाह बहुत बड़ा है और हर ऐब से पाक है।

इसलिए तुम मां-बाप की ख़िदमत बड़ी ख़ुशी से करो, उनकी सख़्ती-तुर्शी को बर्दाश्त करो, उनका कहा मानो, हां, अगर शरअ के ख़िलाफ़ कोई काम करने के लिए कहें तो उस वक़्त अल्लाह के हुक्म पर चलो, उनकी फ़रमांबरदारी न करो, बहुत-से लड़के-लड़कियां शादी हो जाने के बाद मां-बाप से बे-ताल्लुक़ हो जाते हैं, यह बहुत बुरा है, अब भी उनकी ख़िदमत करो और ख़बर रखो।

बारहवां सबक़

शौहर के हक़

औरत पर उसके शौहर के हक़ बहुत बड़े हैं, हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो औरत इस हाल में वफ़ात पा गई कि उसका शौहर उससे राज़ी था, तो वह जन्नत में दाख़िल होगी और यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि जब औरत पांचों वक़्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी आबरू की हिफ़ाज़त करे और शौहर की फ़रमांबरदारी करे, तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाख़िल हो जाए।

एक सहाबी रज़ि० ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! कौन-सी औरत बेहतर है? इर्शाद फ़रमाया, वह औरत बेहतर है कि शौहर उसकी तरफ़ देखे तो उसको ख़ुश करे और जब वह हुक्म दे तो अमल करे और अपनी जान के बारे में उसकी मुख़ालफ़त न करे और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके माल से ख़र्च न करे।

बहुत-सी औरतें शौहर से बढ़-चढ़ कर बातें करती हैं और उसके सामने मुंह फुलाए रखती हैं। ज़रा-ज़रा बात में उसको नाराज़ कर देती हैं। यह बड़ी बुरी हरकत है। शौहर को नाराज़ रखने का इतना बड़ा वबाल है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तीन आदमियों की नमाज़ क़ुबूल

नहीं होती और उनकी नेकी ऊपर नहीं जाती—

1. एक भागा हुआ गुलाम, जब तक अपने मालिकों के पास आकर अपना हाथ उनके हाथ में न दे दे।

2. दूसरे वह औरत जिस पर उसका शौहर नाराज़ हो,

3. तीसरे वह आदमी, जो नशे में मस्त हो, जब तक उसको होश न आ जाए।

शौहर की नाशुक्री

शौहर की नाशुक्री करना बड़ी बुरी चीज़ है। औरतों में आदत होती है कि जब कभी ज़रा सा दिल पर मैल आया, शौहर के तमाम एहसानों पर पानी फेर दिया। हदीस शरीफ़ में आया है कि एक बार रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईद या बक़रीद की नमाज़ के लिए तश्रीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में औरतों पर गुज़र हुआ। आपने फ़रमाया, ऐ औरतो! सदक़ा करो, क्योंकि मुझे दोज़ख़ियों में सबसे ज़्यादा तुम ही दिखलाई गई हो। यह सुनकर औरतों ने पूछा, क्यों, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम? आपने फ़रमाया, इसलिए कि लानत बहुत बकती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो।

एक हदीस में है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने औरतों की नाशुक्री का ज़िक्र करते हुए इर्शाद फ़रमाया कि अगर एक मुद्दत तक तुम औरत के साथ अच्छा बर्ताव करो, फिर (कभी) तुम्हारी तरफ़ से कुछ ज़रा सी रंजिश की बात देखी तो झट से कह देगी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ़ से बेहतरी न देखी।

और यह भी हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह उस औरत की तरफ़ (ग़ुस्से की वजह से) न देखेगा, जो अपने शौहर की शुक्रगुज़ार नहीं, हालांकि उसकी मुहताज रहती है। 'लानत बहुत करती हैं' यानी बात-बात में कोसती हैं और गालियां देती हैं, कहती हैं, फ़्लां पर ख़ुदा की मार, उस पर फिटकार, वह सत्यानासी है, फ़्लानी कमबख़्ती मारी है, उसे मौत आए, उसकी दुकान में आग लगे। वग़ैरह-वग़ैरह। ख़ुदा सबको इन बातों से बचाए रखे। ऐ बीवियो! तुम शौहर के हक़ में कोताही न करो। उसको राज़ी रखो।

Maktab Ashraf

तेरहवां सबक़

पड़ोसी के हक़

शरीअत में पड़ोसी के बड़े हक़ हैं। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मुझे पड़ोसी के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे ख़्याल हुआ कि यह पड़ोसी को तर्के का वारिस बनाकर छोड़ेंगे और यह भी फ़रमाया है कि क़ियामत के दिन सबसे पहला मुद्दई और मुद्दआ अलैहि दो पड़ोसी होंगे।

इसलिए तुम पड़ोसियों के हक़ों का ख़्याल रखो, उनको तक्लीफ़ मत पहुंचाओ, उनके बच्चों को बुरा-भला मत कहो, उसके दरवाज़े के सामने या उसके घर में ख़राब और गन्दी चीज़ें मत डालो। सेहन में, पानी में, रास्ते में और जिस-जिस चीज़ में उसका साझा हो, उसका हक़ मत मारो। पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करो, लड़ो-भिड़ो नहीं, उसकी मुहताजी और भूख व प्यास का ख़्याल रखो। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने एक सहाबी को नसीहत फ़रमाई कि जब तुम शोरबा पकाओ, तो उसमें पानी ज़्यादा डाल दो और अपने पड़ोसियों का ध्यान करो, यानी उसमें से उनको भी दो।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि वह मुसलमान नहीं है जो अपना पेट भर ले और उसका पड़ोसी भूखा हो और यह भी फ़रमाया कि वह जन्नत में

दाख़िल न होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से निडर न हो, इसलिए तुम अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुक़ात रखो, उनको तक्लीफ़ें न दो। जिसके पड़ोसी डरते रहते हों कि न जाने उसकी तरफ़ से हमको क्या दुख पहुंचेगा, वह पक्का मुसलमान नहीं।

Maktab Ashraf

चौदहवां सबक़

नीयत में इख़्लास

सिर्फ़ अल्लाह की रिज़ा के लिए अमल करने को इख़्लास कहते हैं। जो भी नेक काम करो, इस नीयत से करो कि उसके बारे में जो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस पर अमल करके सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करना मक़्सूद है। दुनिया का नफ़ा और शोहरत और नाम व नमूद या और कोई ऐसी चीज़ मक़्सूद नहीं है, जो इस दुनिया में काम आए, बल्कि आख़िरत संवर जाने के लिए इस अमल को करना है और यह जब ही होता है जब नेक अमल का सवाब मिल जाने का पूरा यक़ीन हो और सवाब को काम की चीज़ समझा जाए।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि आमाल का बदला नीयतों पर मौक़ूफ़ है और हर एक को वही मिलता है जो उसकी नीयत हो, मतलब यह है कि सिर्फ़ अमल करने से सवाब नहीं मिलता बल्कि अगर नीयत अच्छी है और अमल सिर्फ़ ख़ुदा के लिए है, तो उस अमल का ख़ुदा के यहां सवाब मिलेगा और अगर अच्छी नीयत से अमल ख़ाली है और नफ़्स को फुलाने के लिए या बन्दों को ख़ुश करने के लिए या दुनिया का नफ़ा हासिल करने के लिए किया हो तो वह अमल बेजान है और इंसान के लिए वबाल बनेगा।

हदीस शरीफ़ में आया है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि क़ियामत के दिन दुनिया हाज़िर की जाएगी और उसमें जो कुछ ख़ुदा के लिए होगा, उसको अलग कर लिया जाएगा और बाक़ी को दोज़ख़ में फेंक दिया जाएगा।

नमाज़, रोज़ा, ज़िक्रे इलाही, तस्बीह, ज़कात, सदक़ा, ख़ैरात और हर नेक काम में बस अल्लाह की रिज़ा हासिल होने का ध्यान रखो। दुनिया वालों को दिखाने और शोहरत और नाम व नमूद के लिए मत करो। जो लोग मख़्लूक़ को दिखाने के लिए अमल करते हैं, उनके बारे में हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी, उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे का रोज़ा रखा, उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे का सदक़ा किया, उसने शिर्क किया और यह भी फ़रमाया है कि दोज़ख़ में एक गढ़ा है, जिससे ख़ुद दोज़ख़ रोज़ाना चार सौ बार पनाह मांगती है, उसमें रियाकार इबादत गुज़ार जाएंगे, इसलिए तुम दुनिया की शोहरत और नेकनामी के ख़्याल से नमाज़, रोज़ा और ख़ैर-ख़ैरात मत करो, इस तरह चुपके से सदक़ा करो कि जो सीधे हाथ से दिया है, तो दूसरे हाथ को भी उसकी ख़बर न हो। जिन कामों को लोग ख़ालिस दुनिया का काम समझते हैं, तलाश करके अगर उनमें ख़ुदा की रज़ामंदी का पहलू निकाल लिया जाए, तो उनमें भी सवाब मिलेगा।

अगर खाना खाने में यह नीयत करे कि इससे जो ताक़त

आएगी, वह आख़िरत के काम में लगेगी और पेट में भूख का एहसास न होगा तो नमाज़ भी ठीक होगी, तो ऐसी नीयत करने से खाने में भी सवाब मिल जाएगा। ख़ूब समझ लो, अगर किसी ने रोज़ा इस नीयत से रखा कि सवाब भी होगा और तन्दुरुस्ती का भी फ़ायदा होगा या हज इस नीयत से किया कि हज भी होगा और तफ़रीह भी होगी और फ़क़ीर को कुछ इसलिए दिया कि सदक़ा भी हो जाएगा और यह यहां से टल भी जाएगा, तो ये सब बातें नीयत की ख़राबी में दाख़िल हैं।

फ़ायदा–गुनाह किसी भी नीयत से जायज़ नहीं हो सकता और न नेकी बन सकता है।

पन्द्रहवां सबक़

ज़ुबान की हिफ़ाज़त

मुसलमान आदमी के लिए ज़ुबान की हिफ़ाज़त बहुत ज़रूरी है। आदमी के जिस्म में ज़ुबान देखने में अगरचे ज़रा सी चीज़ है, मगर बड़ी-बड़ी लड़ाइयां करा देती है और दिलों में फूट डलवा देती है। इंसान से जो गुनाह होते हैं, अक्सर या तो ज़ुबान से होते हैं या उनमें ज़ुबान का दख़ल ज़रूर होता है। दुनिया और आख़िरत की कामियाबी की और बहुत-सी मुसीबतों से छुटकारे की सबसे अच्छी और उम्दा तर्कीब यह है कि ज़ुबान अपने क़ाबू में रखी जाए।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जो चुप रहा, उसने नजात पाई और हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया है कि मुंह के बल औंधे करके जो चीज़ लोगों को दोज़ख़ में गिराएगी, वह उनकी बातें ही होंगी।

ज़ुबान से बड़े-बड़े गुनाह होते हैं, कुफ़्र के कलिमे ज़ुबान ही से निकलते हैं, ग़ीबत ज़ुबान से ही होती है। बोहतान, लानत, ताने, गालियां, झूठ, चुग़ली और तरह-तरह के गुनाह ज़ुबान से होते हैं। अपनी ज़ुबान को हर वक़्त अल्लाह की याद में मश्ग़ूल रखो और दुनिया की ज़रूरी बात, जिसमें गुनाह न हो, कर लो और जितनी ज़रूरत हो, उसी क़दर बोलो। औरतों में आदत होती

है कि बात में बात लगाए जाती हैं और तेरी-मेरी बुराई में घंटों मज्लिस गर्म रखकर अपनी आक़बत ख़राब करती हैं, किसी को कोसती हैं और किसी पर लानत और फिटकार भेजती हैं, अपनी बड़ाइयां जताती हैं और दूसरी औरतों की हिक़ारत ज़ाहिर करती हैं। याद रखो, ये सब चीज़ें आख़िरत में ले डूबने वाली हैं। इनसे बचो।

झूठ का वबाल

फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जब बन्दा झूठ बोलता है, तो फ़रिश्ता उसकी बात की बदबू से एक मील दूर चला जाता है।

चुग़ली—फ़रमाया हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जन्नत में चुग़लख़ोर दाख़िल न होगा।

गाना—फ़रमाया हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, गाना दिल में निफ़ाक़ को उगाता है जैसे पानी खेती को उगाता है।

निफ़ाक़ उसको कहते हैं कि आदमी के दिल में कुफ़्र हो और ज़ाहिर में मुसलमान बने।

गाने मत सुनो, न गाने के शेर याद करो। बहुत-सी लड़कियां सिनेमा में जाती हैं, हया शर्म भी खोती हैं और गाना-बजाना भी जान जाती हैं, फिर बैठे-बैठे शेर गाया करती हैं। यह सख़्त गुनाह है। मुसलमानों के करने का काम नहीं है। देखो, हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे निफ़ाक़ की वजह बताया।

ग़ीबत का गुनाह

फ़रमाया हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि ग़ीबत का वबाल ज़िनाकारी से भी ज़्यादा सख़्त है। सहाबियों रज़ि० ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! ग़ीबत का वबाल ज़िनाकारी से भी ज़्यादा सख़्त कैसे है? फ़रमाया, (इस वजह से) कि बेशक आदमी ज़िनाकारी करता है और तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा क़ुबूल फ़रमा लेते हैं और इसमें शक नहीं कि ग़ीबत वाले का गुनाह बख़्शा न जाएगा, जब तक वही माफ़ न कर दे, जिसकी उसने ग़ीबत की है।

ग़ीबत इसको कहते हैं कि किसी के बारे में ऐसी बात कही जाए जो उसे बुरी लगे, इसका बड़ा गुनाह है। जिस जिसकी ग़ीबत की हो, उससे माफ़ी मांग लो, वरना क़ियामत में उसको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी और उसके गुनाह लादने होंगे और अगर उस मर्द या औरत की ख़बर नहीं कि वह कहां है जिसकी तुमने ग़ीबत की या दुनिया ही में अब नहीं है तो उसके लिए मग़्फ़िरत की इतनी दुआ करो कि तुम्हारा दिल गवाही दे दे कि हां, उसकी ग़ीबत का बदला मैंने अदा कर दिया।

बहुत से लोग ग़ीबत करते हैं और जब कोई मना करता है, तो कहते हैं कि हम झूठ तो नहीं कहते। जो बुराई फ़्लां मर्द या औरत में है, उस का तो ज़िक्र किया है। यही सवाल एक सहाबी रज़ि० ने हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने रखा था, आपने फ़रमाया, अगर तूने वह ऐब या बुराई बयान की, जो तेरे भाई में है, तो इस शक्ल में तूने उसकी ग़ीबत

की और अगर तूने उसके बारे में वह बात कही जो उसमें नहीं है, तो इस सूरत में तूने उस पर बोहतान बांधा।

अल-ग़रज़, जहां तक हो सके अल्लाह के ज़िक्र में ज़ुबान को लगाए रखो। दुनिया की कोई ज़रूरी बात हुई, कर ली, किसी को नसीहत कर दी, उसी में मश्गूल रहो। जहां तक हो सके, ऐसी बातें भी न करो, जिसमें न गुनाह हो, न सवाब हो, क्योंकि इसमें भी अपनी आख़िरत का नुक़्सान है। जिस वक़्त ऐसी बात कही जिससे न गुनाह हुआ, न सवाब हुआ, इस इतने वक़्त में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता, दरूद शरीफ़, अलहम्दु लिल्लाह या ला इला-ह इल्लल्लाहु ज़ुबान से निकल जाता तो बड़ा सवाब मिल जाता।

लायानी और फ़िज़ूल बातों और बेकार बातों से दूर रहो। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि इंसान के इस्लाम की एक ख़ूबी यह है कि बेकार कामों को छोड़ देवे। हदीस शरीफ़ में आया है कि एक सहाबी की वफ़ात हो गई, तो दूसरे सहाबी ने कहा कि तुझे जन्नत की ख़ुशख़बरी है, इस पर हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम ख़ुशख़बरी दे रहे हो, हालांकि तुमको पता नहीं कि शायद उसने लायानी बात कही हो या ऐसी चीज़ के ख़र्च से कंजूसी की हो, जो ख़र्च से घटती नहीं। (जैसे इल्म, आग, नमक वग़ैरह)

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि आदमी अपने पैर से इतना नहीं फिसलता, जितना

अपनी जुबान से लग़्ज़िश खा जाता है और यह भी इर्शाद फ़रमाया है कि बेशक बन्दा कभी ऐसा कलिमा अल्लाह की नाराज़गी का कह देता है कि उसकी वजह से दोज़ख़ में उससे ज़्यादा गहरा गिरता चला जाता है, जितना पूरब और पच्छिम के दर्मियान फ़ासला है, हालांकि उसको अपनी बात की तरफ़ ध्यान भी नहीं होता (कि मैंने क्या कह दिया)।

हज़रत लुक़्मान हकीम रह० से किसी ने मालूम किया कि आपको हिक्मत का यह मर्तबा कैसे नसीब हुआ। उन्होंने जवाब दिया, मैं सच बोलता हूं, अमानत अदा करता हूं और लायानी से बचता हूं।

अल्लाह हम सबको भी जुबान की हिफ़ाज़त और लायानी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं।

Maktab Ashraf

सोलहवां सबक़

हलाल रोज़ी

हलाल रोज़ी का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि वह गोश्त जन्नत में दाख़िल न होगा जो हराम से बढ़ा होगा, (फिर फ़रमाया कि) जो गोश्त हराम से बढ़ा हो, दोज़ख़ ही उसके लिए ज़्यादा मुनासिब है।

'हराम का खाना और खाने के अलावा दूसरे इस्तेमाल में लाना' दोनों हराम हैं। हराम माल का वबाल बहुत ज़्यादा है।

हराम खाने की वजह से दुआ क़ुबूल नहीं होती

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी का ज़िक्र फ़रमाया जो लम्बे सफ़र में हो, बुरा हाल होने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए हों और बदन पर गुबार लगा हुआ हो और आसमान की तरफ़ हाथ उठाकर 'या रब या रब' कहता हो और उसका खाना हराम हो और उसका लिबास हराम हो और उसको ग़िज़ा हराम मिली हो, तो इन सब चीज़ों की वजह से उसकी दुआ कैसे क़ुबूल हो?

जब तक आदमी सफ़र में रहता है, उसकी दुआ ज़रूर क़ुबूल होती है, लेकिन मुसाफ़िर होने के बावजूद मुसाफ़िर बेदहाल की दुआ इसलिए क़ुबूल न होगी कि उसका खाना-पीना और पहनना हराम हो। आज बहुत रो-रो कर दुआएं की जाती हैं,

मगर क़ुबूल नहीं होती हैं और क्यों कर क़ुबूल हों, जबकि हराम से बचने का ख़्याल ही न रहा।

नमाज़ क़ुबूल न होना

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने दस दिरहम का कपड़ा ख़रीदा (जो लगभग दो रुपए आठ आने होते हैं और उनमें से एक दिरहम (यानी एक रुपए चार आने) हराम के थे तो जब तक वह कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा, अल्लाह उसकी नमाज़ क़ुबूल न फ़रमाएंगे।

ग़ौर करो, जब कपड़े में दसवां हिस्सा हराम का होने से भी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती, तो जिसके सारे कपड़े और ख़ूराक हराम से हो, उसकी नमाज़ कैसे क़ुबूल हो सकती है?

सदक़ा क़ुबूल न होना

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि कोई बन्दा हराम माल कमा कर उसमें से सदक़ा करेगा, तो वह सदक़ा क़ुबूल न होगा और उसमें से ख़र्च करेगा तो बरकत न होगी और उसको अपने मरने के बाद पीछे छोड़ जाएगा तो वह माल उसके लिए दोज़ख़ का सामान होगा।

और एक बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि जो आदमी नेक काम में हराम माल ख़र्च करे, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी पेशाब से कपड़ा पाक करे। बहुत से लोग हराम कमाकर लाते हैं और नफ़्स के समझाने से थोड़ा इसमें से किसी फ़क़ीर को देकर समझ लेते हैं कि अब सारा माल पाक हो गया, यह बिल्कुल

ग़लत और शैतान का धोखा है। वह सदक़ा ख़ुद तो क़ुबूल ही नहीं हुआ, बाक़ी माल को कैसे पाक करेगा।

इसलिए तुम हलाल का ध्यान करो, तुम्हारे घर में बाप या भाई या शौहर हराम का माल कमाकर लाएं, जैसे रिश्वत का माल लावें या सूद लेते हों या सिनेमा में या शराब के महकमे में या इंश्योरेंस कम्पनी में मुलाज़िम हों या उन्होंने मकान-दुकान की सलामी (पगड़ी) ली हो या किसी और गुनाह के ज़रिए से रुपया कमाया हो, तो उसमें से न खाओ और न पहनो और उनसे कहो कि हलाल कमा कर लाओ, हराम को छोड़ दो। हमको फ़ाक़े से मर जाना और मोटा और पुराना कपड़ा सूत का लिबास पहनना और ज़ेवर से हाथ-कान वग़ैरह ख़ाली रखना मंज़ूर है, मगर हराम खाकर और पहन कर और इस्तेमाल करके दोज़ख़ में जाना मंज़ूर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल हलाल मिलता ही नहीं, फिर हराम से कैसे बचें? हालांकि यह बिल्कुल ग़लत है, जो बन्दे हलाल कमाना चाहते हैं, उनको हलाल ही मिलता है, हां, इतनी बात ज़रूर है कि हलाल थोड़ा होता है, मज़े उड़ाने और फ़िज़ूल ख़र्च करने की गुंजाइश उसमें नहीं होती। वे आदमी बड़े मुबारक हैं जो दोज़ख़ से बचने के लिए दुनिया की लज़्ज़तों को छोड़ देते हैं और थोड़े पर सब्र करते हैं।

सतरहवां सबक़

लिबास और ज़ेवर

लिबास तन ढांकने की चीज़ है और इस फ़ायदे के अलावा सर्दी-गर्मी का बचाव भी लिबास से होता है। दीने इस्लाम ने ख़ूबसूरत लिबास पहनने की इजाज़त दी है, मगर उसी हद तक इजाज़त है, जबकि फ़िज़ूलख़र्ची न हो और इतरावा और दिखावा मक़्सूद न हो और ग़ैर-क़ौमों का लिबास न हो। एक हदीस शरीफ़ में है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि खाओ-पियो और सदक़ा करो और पहनो, जब तक कि फ़िज़ूलख़र्ची और ख़ुद पसन्दी (यानी मिज़ाज में बड़ाई) न आए। आजकल मुसलमान औरतों ने लिबास पहनने के बारे में कई ख़राबियां पैदा कर ली हैं, हम उन पर तंबीह करते हैं।

एक ख़राबी यह है कि बारीक कपड़े पहनती हैं, बारीक कपड़ा जिससे बदन नज़र आवे, उसका पहनना-न पहनना दोनों बराबर हैं। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की भतीजी एक बार उनके पास आईं। उनकी ओढ़नी बारीक थी। हज़रत आइशा रज़ि० ने यह ओढ़नी फाड़ डाली और अपने पास से मोटे कपड़े की ओढ़नी उढ़ा दी।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दोज़ख़ियों के दो गिरोह पैदा होने वाले हैं, जिनको मैंने नहीं देखा है, (क्योंकि अभी वे पैदा नहीं हुए हैं।) एक गिरोह ऐसा

पैदा होगा जो बैलों की दुमों की तरह (लम्बे-लम्बे) कोड़े लिए फिरेंगे और उनसे लोगों को मारा करेंगे। दूसरा गिरोह ऐसी औरतों का पैदा होगा जो कपड़े पहने हुए भी नंगी होंगी। (ग़ैर-मर्दों को) अपनी तरफ़ माइल करेंगी और ख़ुद भी (उनकी तरफ़) माइल होंगी। उनके सर ऊंटों की झुकी हुई कमरों की तरह होंगे। ये औरतें न जन्नत में दाख़िल होंगी, न जन्नत की ख़ुश्बू सूंघेंगी। देखो कैसी कड़ी धमकी है कि ऐसी औरतें जन्नत की ख़ुश्बू भी न सूंघ सकेंगी। जन्नत में जाने का तो ज़िक्र ही क्या है।

कपड़ा पहने हुए नंगा होने की कई शक्लें हैं। एक सूरत यह है कि कपड़े बारीक हों और दूसरी सूरत यह है कि थोड़ा-सा कपड़ा पहन लें और जिस्म का बहुत-सा हिस्सा खुला रहे, जैसे फ़राक चला है कि उसको पहन कर बाज़ारों में चली जाती हैं और सर और हाथ और बाज़ू और मुंह और पिंडुली सब खुली रहती हैं, अल्लाह बचाए ऐसे लिबास से।

दूसरी ख़राबी यह है कि काफ़िर औरतों की नक़ल उतारती हैं, जो लिबास ईसाई लेडियां पहनती हैं, वही ख़ुद पहनने लग जाती हैं। याद रखो, दूसरी क़ौमों का लिबास पहनना सख़्त गुनाह है। इर्शाद फ़रमाया रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिसने किसी क़ौम की तरह अपना हाल बनाया, वह उन ही में से है।

तीसरी ख़राबी यह है कि नाम और दिखावा और बड़ाई जताने और अपनी मालदारी ज़ाहिर करने के लिए अच्छा-अच्छा लिबास पहनती हैं। नाम व नमूद बुरी चीज़ है, इर्शाद फ़रमाया

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि जिसने दुनिया में नाम होने के लिए कपड़ा पहना, क़ियामत के दिन अल्लाह उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे।

चौथी ख़राबी यह है कि बिला-ज़रूरत कपड़े बनाती रहती हैं। दर्ज़ी नए-नए डिज़ाइन निकालते रहते हैं। जहां किसी औरत को देखा कि नई कांट-छांट का कपड़ा पहने हुए है, बस अब शौहर के सर हो जाएंगी, उधार क़र्ज़ करके जैसे बन पड़े, उस क़िस्म का बना दे। यह फ़िज़ूलख़र्ची और शौहर के सताने की बातें हैं, जिस्म छिपाने के लिए और सर्दी-गर्मी से बचने के लिए शरअ के मुताबिक़ लिबास पहनो, दो तीन जोड़े हों, उसी पर बस करो। बिला ज़रूरत शौहर को लोहे के चने चबवाना बुरी बात और सख़्त ऐब है।

फिर यह मुसीबत भी है कि अगरचे कई जोड़े रखे हैं, मगर मिलने-जुलने जाने के लिए हर मौक़े पर नया जोड़ा पहनना ज़रूरी समझती हैं, यह ख़्याल होता है कि देखने वाली कहेंगी कि इसके पास बस यही तीन जोड़े हैं, इन्हीं को बार-बार पहन कर आ जाती है, सिर्फ़ नाक ऊंची करने और बड़ाई जताने के लिए, अब शौहर को सताती हैं और तक़ाज़ा है कि कपड़े और बना दे। अगर उसने ख़्याल न किया तो जो रुपया उसने किसी ज़रूरत के लिए या किसी का क़र्ज़ देनें के लिए रखा था, चुपके से निकाल कर कपड़ा ख़रीद लिया। अब शौहर परेशान होता है जिसका क़र्ज़ था, उसके सामने ज़लील होता है या और किसी बड़ी परेशानी में पड़ जाता है, ख़बरदार ऐसा मत करो।

बुर्क़ा सर से पांव तक जिस्म छिपाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, मगर अब ऐसा बुर्क़ा बनने लगा है कि उस पर बेल-बूटे बनाए होते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि जो न देखे, वह भी देखे, कुछ तो किसी का ख़्याल हमारी तरफ़ आवे। तौबा-तौबा! परदा क्या हुआ, नज़र खींचने वाला कपड़ा बन गया और बहुत-सी औरतें इतना ऊंचा बुर्क़ा पहनती हैं कि शलवार या साड़ी जो पिंडलियों पर होती है, सबको नज़र आती है और पांव भी दिखते हैं। ऐसा बुर्क़ा मत पहनो, ख़ूब नीचा बुर्क़ा पहनो और बहुत-सी औरतें बुर्क़े के अन्दर से दोपट्टे का कुछ हिस्सा बाहर को लटका देती हैं। यह भी बुरी हरकत है। वह क्या परदा हुआ जिससे ग़ैर की नज़र अपनी तरफ़ मुतवज्जह हुई। साड़ी अगर पहनो तो इतनी नीची पहनो कि पिंडुलियां और टख़ने छिपे रहें और पूरी आस्तीन का कुरता या क़मीज़ पहनो जो इतना लम्बा हो कि पेट और कमर न खुले। ऊपर से साड़ी पहन लो। पेट और कमर का सख़्त परदा है, अपने सगे भाई-बाप से भी इन दोनों को छिपाओ।

ज़ेवर

औरतों को ज़ेवर पहनना जायज़ है, लेकिन ज़्यादा न पहनना बेहतर है। जिसने दुनिया में न पहना, उसको आख़िरत में बहुत मिलेगा।

मस्अला—बजने वाला ज़ेवर पहनना दुरुस्त नहीं और छोटी लड़की को पहनाना भी दुरुस्त नहीं, जैसे झांझन वग़ैरह। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम की बीवी थीं, उनके पास एक बच्ची को लेकर एक औरत आई। उस बच्ची ने बजने वाला ज़ेवर पहन रखा था। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया, इस बच्ची को मेरे पास हरगिज़ न लाना, जब तक कि उसका यह ज़ेवर का टुकड़ा अलग न कर दो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि जिस घर में बजने वाले घुंघरू हों, उसमें फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।

मस्अला—चांदी-सोने के अलावा किसी दूसरी चीज़ का ज़ेवर पहनना भी दुरुस्त है, जैसे पीतल, गिलट, रोल्ड गोल्ड का ज़ेवर, मगर अंगूठी सोने-चांदी के अलावा किसी दूसरी चीज़ की दुरुस्त नहीं और मर्दों को सिर्फ़ चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, किसी और चीज़ की जायज़ नहीं चाहे सोना हो, या और कोई धातु हो।[1]

मस्अला—जो चीज़ मर्दों को पहनना जायज़ नहीं, नाबालिग़ लड़कों को पहनाना भी जायज़ नहीं। लड़कों को रेशमी कपड़ा पहनाना या कान में बाली-बुन्दा या गले में हंसुली डालना या चांदी का तावीज़ पहनाना, यह सब पहनाना नाजायज़ है।

मस्अला—चांदी-सोने के बरतन में खाना-पीना या चांदी-सोने के चमचे से खाना या उनसे बने हुए ख़िलाल से दांत साफ़ करना जायज़ नहीं है।

मस्अला—सोने-चांदी की सुरमेदानी या सलाई से सुरमा लगाना या उनकी प्याली से तेल लगाना या ऐसे आईने में मुंह देखना,

1. चांदी की अंगूठी मर्दों को इस शक्ल में जायज़ है, जबकि उसका वज़न चार माशा से कम हो।

जिसका फ्रेम सोने या चांदी का हो, यह सब नाजायज़ है। मर्दों और औरतों सबका एक ही हुक्म है।

तंबीह—ज़ेवर पहन कर दिखावा करना और बड़ाई जताना सख़्त गुनाह है। बहुत-सी औरतें ज़ेवर पहन कर तर्कीबों से अपना ज़ेवर ज़ाहिर करती हैं। गर्मी लगने के बहाने से गले का हार और कानों के बुन्दे दिखाती हैं। कोई न पूछे तो तरह-तरह की बातें छेड़ कर अपने बुन्दों की क़ीमत और डिज़ाइन का अनोखा होना ज़ाहिर करती हैं और मालदारी की बड़ाई जताती हैं, यह सख़्त गुनाह है।

हदीस शरीफ़ में है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों से फ़रमाया, क्या तुम चांदी के ज़ेवर से गुज़ारा नहीं कर सकती हो? (फिर फ़रमाया कि) जो औरत तुममें से सोने का ज़ेवर पहन कर (बड़ाई जताने के लिए) दिखावेगी तो उसकी वजह से अज़ाब दिया जाएगा। (मिश्कात शरीफ़)

Maktab Ashraf

अठारहवां सबक़

परदा

इस्लाम में परदे की बड़ी अहमियत है और परदे के बारे में बहुत ताकीदें आई हैं। आजकल की औरतें परदा छोड़ती जा रही हैं, इसलिए हम तफ़्सील के साथ परदे के मसूअले और हदीसों की रिवायतें लिखते हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ बख़्शे।

मसूअला—औरत को सारा बदन सर से पांव तक छिपाए रखने का हुक्म है। नामहरम के सामने खोलना दुरुस्त नहीं, अलवत्ता बूढ़ी औरत को सिर्फ़ मुंह और हथेली और टख़ने से नीचे पैर खोलना नामहरम के सामने दुरुस्त है, बाक़ी और बदन खोलना किसी तरह बूढ़ी औरत के लिए भी दुरुस्त नहीं।

मसूअला—ना-महरम के सामने एक बाल भी न खोलना चाहिए। माथे से अक्सर दोपट्टा सरक जाता है और इसी तरह ना-महरम के सामने आ जाती हैं, यह जायज़ नहीं, नामहरम उसको कहते हैं जिससे कभी भी उस औरत का निकाह दुरुस्त हो।

मसूअला—पेट और पीठ अपने मरहम के सामने खोलना दुरुस्त नहीं, बहुत-सी जगह जहां साड़ी बांधने का रिवाज है, औरतों का पेट या पीठ खुल जाते हैं, यह सख़्त गुनाह है। महरम उसको कहते हैं जिससे कभी भी निकाह दुरुस्त न हो, जैसे सगा चचा, सगा भाई, सगा मामूं, बाप, दादा, बेटा, पोता वग़ैरह।

मस्अला—नाफ़ से लेकर घुटनों के नीचे तक किसी औरत के सामने खोलना भी औरत के लिए दुरुस्त नहीं।

मस्अला—जितने बदन का देखना जायज़ नहीं, उतने हिस्से पर हाथ लगाना भी जायज़ नहीं, गुस्ल करते वक़्त किसी भी औरत से नाफ़ से घुटनों के नीचे तक बदन को मलवाना या किसी औरत को दिखाना, अगरचे मां-बहन ही हों, औरत के लिए दुरुस्त नहीं।

औरतें भी मर्दों को न देखें

एक बार हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आपकी दो बीवियां हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० और हज़रत मैमूना रज़ि० बैठी हुई थीं, इसी मौक़े पर एक सहाबी आ गए, जिनका नाम अब्दुल्लाह रज़ि० था और आंखों से नाबीना थे। जब वह हज़रत रसूले मक़्बूल सल्ल० के पास बढ़े चले आए तो दोनों बीवियों ने उनको नाबीना समझ कर परदा न किया। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम दोनों उनसे परदा करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! क्या वह नाबीना नहीं हैं? हमको तो नहीं देख रहे हैं! इर्शाद हुआ, क्या तुम दोनों भी अंधी हो, उनको नहीं देख रही हो?

ग़ौर करना चाहिए कि जब कोई ख़राब नीयत का अन्देशा भी न था, क्योंकि एक तरफ़ हज़रत रसूले मक़्बूल सल्ल० की बीवियां थीं, जिनको क़ुरआन शरीफ़ में मुसलमानों की माएं फ़रमाया

गया है और दूसरी तरफ़ एक नेक सहाबी रज़ि० थे, वह भी ना-बीना, उस पर भी आपने परदा कराया तो आजकल जबकि ख़राब ख़्यालात वाले ज़्यादा हैं तो परदे की पाबन्दी करना कितना ज़रूरी हुआ।

आजकल बहुत-सी औरतें ख़ुद तो परदे में बैठ जाती हैं, पर मर्दों को ताकती रहती हैं, यह गुनाह की बात है। देखो, हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कितनी सख़्ती के साथ नाबीना को देखने से भी मना फ़रमाया है। ब्याह-बारात के मौक़े पर दूल्हा को सलामी के नाम से अन्दर बुलाकर सब औरतें देखती हैं और वह उस दिन बनाव-सिंगार से भी होता है, यह गुनाह की और बड़ी बे-शर्मी की बात है।

ऐसी जगह खड़ी न हो, जहां उसे कोई देख सके

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ख़ुदा की लानत हो उस पर जो देखे और उस पर भी जिसकी तरफ़ (उसके अख़्तियार या बद-एहतियाती से) देखा जाए। आजकल बहुत-सी औरतें परदे की बे-एहतियाती करती हैं, दरवाज़ों के परदे का किवाड़ बन्द रखने का ख़ास ख़्याल नहीं रखतीं या खिड़कियों में खड़े होकर बाहर से देखती हैं या पार्कों में जाकर बुरक़ा उतार कर या मुंह खोल कर घूमती-फिरती हैं या बाज़ारों में जाकर चीज़ें ख़रीदते हुए मुंह खोल देती हैं और दुकानदार उनको देख लेते हैं। इस हदीस के मुताबिक़ ऐसी औरतें लानत में शामिल होती हैं।

बेपरदगी के साथ बहुत-सी मुसलमान बनने वाली औरतें बाहर फिरने और तमाशों या मेलों और सिनेमाओं में अपनी ख़ूबसूरती को दिखावे और ईसाई लेडियों की नक़ल उतारने को फ़ख़्र समझती हैं और बेहिजाब होकर फिरने को तरक़्क़ी का ज़रिया समझती हैं और सख़्त गुनाहगार होती हैं। सिनेमा एक तो ख़ुद ही जबरदस्त गुनाह की चीज़ और हराम है और फिर ऊपर से बेपरदगी डबल गुनाह हो जाता है।

मुसलमान औरतों ने हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घराने की पाकीज़ा औरतों यानी आपकी बीवियों और बेटियों के तरीक़े को बुरा समझकर छोड़ना शुरू कर दिया है और मुश्रिक व काफ़िर औरतों की तरह फ़ैशन, लिबास और ज़ेब व ज़ीनत को अख़्तियार करती चली जा रही हैं। आजकल एक लिबास ऐसा वाहियात चला है कि जिसका पहनना मुसलमान औरत के ख़्याल में आ ही न सकता था, मगर ईसाइयों की देखादेखी मुसलमान घरानों में घुसता जा रहा है, वह लिबास है फ़राक जो बदन पर ख़ूब कस जाता है और बग़ल तक पूरे हाथ और बाजू और सारी या आधी पिंडुलियां खुली रहती हैं और उसमें एक कपड़े के अलावा बदन पर और कुछ भी नहीं होता। मुसलमान होने का दावा करने वाले घरानों में बड़ी तेज़ी से यह फ़राक जगह ले रहा है। पहले छोटी बच्चियों को पहनाते हैं, फिर वे बड़ी होकर, जबकि शौहर के यहां पहुंच जाती हैं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती हैं और चूंकि शौहर के चुनने में दीनदार और ख़ुदातरस आदमी नहीं खोजा जाता, बल्कि ईसाई तरीक़े का आदमी

ढूंढा जाता है, इसलिए वह इसी लिबास को पसन्द करता है और दोनों मियां-बीवी ख़ूब पार्कों में तफ़रीह करते हैं।

आह, वह मुसलमान औरत, जिसको यह तालीम थी कि नाबीना के आने पर भी परदे में हो जाए, आजकल उसके खुले सर और चहरे और पिंडुलियों और बाज़ुओं के हुस्न का नज़ारा बाज़ारों और मेलों और पार्कों में हज़ारों निगाहें करती हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन०

औरतें तो कम समझ होती ही हैं, मर्दों ने भी यूरोप के तौर-तरीक़ देखकर अपनी अक़्लों पर परदा डाल दिया और अपनी बहू-बेटियों को बे-परदगी की धधकती आग में झोंकने पर राज़ी हो गए। हज़रत अक्बर इलाहाबादी ने ख़ूब फ़रमाया है—

बेपरदा कल जो आईं नज़र चंद बीवियां
अक्बर ज़मीं में ग़ैरते क़ौमी से गड़ गया।
पूछा जो उनसे आपका परदा वह क्या हुआ
कहने लगीं कि अक़्ल पे मर्दों के पड़ गया।

परदे की इस्लाम में इतनी अहमियत है कि काफ़िर औरतों से भी एक हद तक परदा रखा गया है। बड़े-बड़े आलिमों ने यह मस्‌अला लिखा है कि काफ़िर औरतें जैसे धोबिन, भंगिन, चमारिन वग़ैरह उनसे भी मुसलमान औरत का उतना ही परदा है जितना नामहरम मर्द से है, हां, उन औरतों के सामने सिर्फ़ मुंह और गट्टे तक हाथ और टख़्ने तक पैर खोल सकती हैं और किसी जगह के एक बाल का खोलना भी दुरुस्त नहीं। इस क़िस्म की औरतों

के सामने सर, हाथ और पिंडुली मत खोलो। इलाज के लिए या बच्चे की पैदाइश के लिए हिन्दू दाई या क्रिश्चियन दाई (ईसाई) मेम को बुलाने की ज़रूरत हो तो सिर्फ़ ज़रूरत की जगह दिखाना जायज़ है, बाक़ी सर, पिंडली, रान खोलना दुरुस्त नहीं।

मस्अला—यह तो दस्तूर है कि बच्चे की पैदाइश के वक़्त औरत को बिल्कुल नंगी कर देते हैं और सब औरतें सारा बदन देखती हैं या ज़रूरत की जगह के अलावा सर और पीठ और पेट और रान बच्चा जनाने वाली देखती है, यह हराम है, बड़ा गुनाह है। इससे बचने की शक्ल यह है कि कोई चादर बांध दी जाए और सिर्फ़ ज़रूरत की जगह दाई या नर्स के सामने ज़रूरत के वक़्त खोल दी जाए।

पीर से भी परदा है

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ परदे के पीछे से एक परचा देने के लिए एक औरत ने हाथ बढ़ाया। आपने अपना हाथ हटा लिया (और उसके हाथ से परचा न लिया) और फ़रमाया, मुझे मालूम नहीं होता कि यह हाथ औरत का है या मर्द का? उसने कहा, यह औरत का हाथ है। फ़रमाया, तुझे अपने हाथ के नाख़ूनों (की सफ़ेदी) को मेंहदी से बदल देना चाहिए था। इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि सहाबी औरतें हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी परदा करती थीं। देखो, उस औरत ने परदे के पीछे से परचा देना चाहा। आजकल के जाहिल पीर मुरीदनों के सामने आ जाते हैं और औरतों की झुरमुट में बैठे या लेटे बातें

करते रहते हैं, ऐसे पीर ख़ुद तो दोज़ख़ के रास्ते पर पड़े ही हैं, मुरीदों और मुरीदनों को भी दोज़ख़ में धकेलते हैं। औरतें समझती हैं कि ये तो पीर हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनसे क्या परदा? भला बताओ तो सही, हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा नेक और परहेज़गार कौन होगा? जब सहाबी औरतों को आपने अपने से भी परदा कराया, तो ये दुनियादार बद-दीन पीर किस गिनती में हैं?

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी ऐसी औरत के हाथ को नहीं छुआ, जो आपके निकाह में न हो और एक हदीस में है कि आपने फ़रमाया, मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं करता।[1]

तंबीह 1—जिस तरह पीर से परदा है, उस्ताद से भी परदा है। बहुत-सी बालिग़ लड़कियां या वे लड़कियां जो जवान होने के क़रीब होती हैं, हाफ़िज़ों या मास्टरों के सामने आकर पढ़ती हैं, यह सख़्त गुनाह है। लानत वाली हदीस में उस्ताद और शागिर्दनी भी शामिल है।

तंबीह 2—जिस पीर या उस्ताद को बूढ़ा समझती हो, उनसे भी परदा करो।

फ़ायदा—इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि औरत को मर्द की तरह बग़ैर मेंहदी लगाए अपना हाथ सफ़ेद रखना ठीक नहीं है।

मस्अला—एक सुर्ख़ी ऐसी चली है, जिसे नाख़ून पर रखकर

1. जमउल फ़वाइद, पृ० 14,

औरतें इस तरह लगा देती हैं कि लाल रंग नहीं, बल्कि उस लाली का जिस्म नाख़ून पर जम जाता है। उसका जमाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता और वुज़ू और गुस्ल अदा नहीं होते, इसे नेल पालिश कहते हैं।

औरत को घर के अन्दर रहना चाहिए

इर्शाद फ़रमाया हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कि औरत छिपे रहने की चीज़ है। बस जब बाहर निकलती है, तो शैतान उसकी ताक में लग जाता है। इस हदीस मुबारक में औरत को पोशीदा रहने और पोशीदा रखने की ताकीद फ़रमाई है, यह जो फ़रमाया कि शैतान उसकी ताक में लग जाता है उसका मतलब यह है कि उस औरत को बहकाने और ग़ैर मर्दों को उसकी तरफ़ मुतवज्जः करने की कोशिश करने लगता है।

जेठ-देवर से ख़ास तौर पर पर्दे की ताकीद

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि (उन) औरतों के पास न जाया करो, (जो तुम्हारी महरम नहीं हैं) एक आदमी ने सवाल किया कि जेठ-देवर और ससुराल के रिश्ते से जो अज़ीज़ व क़रीब हों, उनके बारे में आप क्या इर्शाद फ़रमाते हैं ? आपने फ़रमाया, वे मौत हैं, यानी जिस तरह मौत से घबराते हो, उसी तरह औरत को अपनी ससुराल के मर्दों से घबराना और बचना चाहिए और सामने आने से सख़्त परहेज़ करना चाहिए और इसकी वजह भी ज़ाहिर है और वह यह कि उनको अज़ीज़ व क़रीब समझ कर

औरतें पास बिठा लेती हैं और कुछ हंसी-दिल्लगी की बातें भी हो जाती हैं, फिर इससे ख़राब नतीजे निकल आते हैं। यह नाजायज़ और सख़्त गुनाह है। बहुत-सी औरतें अपने देवर को छोटा-सा पालती हैं या कोई लड़का लेकर, बेटा बनाकर परवरिश करती हैं या बचपन से कुछ लड़कों के सामने आती हैं। जब वे बालिग़ हो जाते हैं, तब भी परदा नहीं करती हैं और कहती हैं, वह तो हमारे सामने का बच्चा है, यह दलील ग़लत और लग़्व है। शरीअत के हुक्म के सामने अटकल लड़ाना और अपनी समझ से शरीअत के हुक्म को ठुकराना बहुत बड़ा गुनाह है। जब बच्चा था तो और वक़्त था, अब तो सब कुछ समझ गया है और परदे की चीज़ों को जान गया है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल साफ़ व पाक होना चाहिए, रस्मी परदे की ज़रूरत नहीं। यह कहना भी शरीअत पर एतराज़ करना है। जब हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने से भी परदा कराया, तो अब ऐसा कौन है जो आपसे ज़्यादा दिल का साफ़ व पाक होगा। एक तो अमल न करना, दूसरे गुनाह को जायज़ करने की कोशिश करने के लिए अक़्ली घोड़े दौड़ाना बहुत बड़ा जुर्म और सख़्त गुनाह हो जाता है।

जिस तरह जेठ, देवर और नन्दोई से परदा करने में बे-एहतियाती की जाती है, उस तरह सौतेले भाइयों, यानी मामूंज़ाद और ख़ालाज़ाद और चचाज़ाद भाइयों से भी परदा नहीं किया जाता है, हालांकि उनके सामने आना भी दुरुस्त नहीं। ये सभी नामहरम हैं।

मस्अला—किसी नामहरम के साथ तंहाई में बैठना या लेटना दुरुस्त नहीं, अगरचे दोनों अलग-अलग और कुछ फ़ासले पर हों। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ तंहाई में होगा, तो वहां तीसरा ज़रूर ही शैतान होगा।

मस्अला—कुछ औरतें मनिहार के हाथ से चूड़ियां पहनती हैं, यह सख़्त गुनाह है।

मस्अला—कुछ क़ौमों में रिवाज है कि नई दुल्हन की मुंह दिखाई होती है और सारे कुंबे के मर्द आकर मुंह देखते हैं, जिनमें नामहरम भी होते हैं, यह हरगिज़ जायज़ नहीं। यह बड़ा गुनाह है।

ज़रूरी तंबीह—अगर कोई मजबूरी हो तो ज़रूरत के मुताबिक़ इलाज करने वाले के सामने जिस्म खोलना दुरुस्त है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा दुरुस्त नहीं, जैसे किसी की रान में फोड़ा है तो सिर्फ़ फोड़े की जगह, हकीम, डाक्टर या लेडी डाक्टर के सामने खोली जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसकी शक्ल यह है कि पाजामा या चादर या तहमद बांध कर फोड़े की जगह बीच में से काट कर खोल दी जाए, ताकि उस जगह के अलावा इधर-उधर नज़र न पड़े।

उन्नीसवां सबक़

रहन-सहन की इस्लाह

इस्लाम का कलिमा पढ़ लेने से और अपना दीन इस्लाम बना लेने से इंसान की ज़िंदगी, चाहे मर्द हो या औरत, ग़ैर-मुस्लिमों से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। हर काम और हर हाल में हर मुसलमान मर्द व औरत को हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी करना ज़रूरी है। आजकल के मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी को ईसाइयों और दूसरे ग़ैर-मुस्लिमों के ताबे बना दिया है। जो वे करते हैं, उसे करने को अपने लिए फ़ख़्र और उनकी नक़ल उतारने को तरक़्क़ी का ज़रिया समझते हैं। इसकी तफ़्सील तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम कुछ ख़ास उन चीज़ों का ज़िक्र करते हैं जिनसे दीन व ईमान, और रुपया-पैसा सभी ग़ारत होते हैं।

नाविल और अफ़साने

सबसे बड़ी आफ़त और मुसीबत जो मुस्लिम घरानों में आई है, वह यह है कि नाविलों और अफ़सानों की किताबें और फ़िल्मी रिसाले जो बेहयाई सिखाने वाले होते हैं और जिनमें अक्सर नंगी तस्वीरें भी छपी होती हैं, घर-घर पढ़ी जाती हैं। उनको पढ़कर गन्दे ख़्यालात और ख़राब बातें, लड़कों और लड़कियों के दिल व दिमाग़ में जगह पकड़ लेती हैं, पैसा भी ज़ाया होता है, वक़्त भी ख़राब हो जाता है और नाजायज़ और नामुनासिब क़िस्से और

दास्तानें पढ़कर दिल गन्दे और दिमाग़ नापाक बन जाते हैं, फिर उसके नतीजे में बड़ी-बड़ी ख़राबियां ज़ाहिर हो जाती हैं। बदचलनी, बेहयाई, बदकारी के वाक़िए जो देखे जाते हैं, गन्दी किताबें यानी अफ़साने और नाविल और फ़िल्मी रिसाले ही उनकी वजह होते हैं। ख़ुदा के लिए नाविल और फ़िल्मी रिसाले अपने घरों में मत आने दो और उनकी जगह दीनी किताबें घरों में रखो, जिनसे दीनी मालूमात भी हों, अख़्लाक़ भी दुरुस्त हों, ऐसी किताबों के नाम हम सबक़ 6 में लिख आए हैं।

रेडियो, ग्रामोफ़ोन

यह मुसीबत भी आम हो गई है कि ग्रामोफोन और रेडियो सुनने का आम रिवाज हो गया है, जहां किसी को कोई अच्छी नौकरी मिल गई या दुकान ख़ूब चल निकली तो माल को अल्लाह की ख़ुश्नूदी की जगह ख़र्च करके उसका शुक्र अदा करने के बजाए लह्व व लअिब और गाने-बजाने की चीज़ों को ख़रीदना ज़रूरी समझ लेता है। ये चीज़ें बड़ाई की निशानी और तरक़्क़ी की अलामत समझी जाती हैं। घर के सब छोटे-बड़े मर्द व औरत, लड़के और लड़कियां, मां-बाप, भाई-बहन, ग़रज़ यह कि सभी हया-शर्म को ताक़ में रख देते हैं और सब मिलकर इश्क़िया नाविल, ग़ज़लें और गन्दे गाने और गन्दे मज़ाक़ सुनते हैं। गाने वालियों को दाद दी जाती है और गन्दी बातों पर हंसी होती है और ठट्ठे लगते हैं, न बड़ों का अदब रहता है, न छोटों का लिहाज़। सब एक क़िस्म के जज़्बात में डूबे हुए और एक ही रंग

में रंगे हुए होते हैं। शर्म, हया, ग़ैरत सब ख़त्म हो जाती हैं जो वक़्त कलाम पाक की तिलावत, दरूद शरीफ़, इस्तग़्फ़ार और दूसरी नेकियों में गुज़रता, वह गाना सुनकर गुनाहगार होने में लग जाता है। इस मुसीबत और बड़े गुनाह से बचो।

रेडियो अगर घर में हो तो उसको सिर्फ़ ख़बरें सुनने के लिए इस्तेमाल करो, गाना-बजाना, हंसी-मज़ाक़ की बातें न ख़ुद सुनो और न बच्चों और बच्चियों को सुनने दो, लेकिन सच्ची बात यह है कि आजकल के मुसलमान इतने मज़बूत ईमान के नहीं हैं कि घर में रेडियो हो और गाना-बजाना न सुनें। इसलिए मुनासिब यही है कि घर में रेडियो रखें ही नहीं, न ग्रामोफोन हरगिज़ घर में लावें, इसमें कुछ रिकार्डों में क़ुरआन शरीफ़ का रुकूअ भरा होता है, लेकिन क़ुरआन शरीफ़ ग्रामोफोन में सुनना क़ुरआन शरीफ़ की बेअदबी है।

गाना-बजाना आजकल ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। अगर ब्याह-शादी और दूसरी तक़रीबों में गाने-बजाने और नाचने का इंतिज़ाम न हो तो उसको फीका और बद-मज़ा कहा जाता है। खाना खाने और ठहरने के लिए वही होटल और रेस्टोरेंट पसन्द किए जाते हैं, जिसमें रेडियो ग्रामोफोन वग़ैरह का इन्तिज़ाम हो। बुज़ुर्गों की क़ब्रों पर उर्स के नाम से जमा होते हैं और हारमोनियम वग़ैरह के गाने होते हैं। जिन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी शरीअत के ख़िलाफ़ चीज़ों को मिटाने में गुज़री, उनकी क़ब्रों पर मेले-ठेले-तमाशे लगते हैं और गानों के अड्डे बनाए जाते हैं। अस्तग़्फ़िरुल्लाह! अल्लाह इस जिहालत से बचाए।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि मेरे रब ने मुझे तमाम दुनियाओं के लिए रहमत और हिदायत देने वाला बनाकर भेजा है और मुझे हुक्म दिया है कि गाने-बजाने के सामान और सलेब (ईसाई जिसका एहतराम करते हैं) और जाहिलियत की चीज़ों को मिटा दूं। आह! आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत के दावे करने वाले कैसे गाने-बजाने से मुहब्बत करते हैं और यह जुर्रात देखो कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नात शरीफ़ भी हारमोनियम के साथ पढ़ते और सुनते हैं। जिस चीज़ को आप मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए, वह आपकी नात सुनाने में इस्तेमाल की जाती है।

गाना-बजाना और नाचना इतना आम हो गया है कि शादी करने के लिए मर्द व औरत दोनों तरफ़ से ऐसे जोड़े की तलाश होती है कि जिन्हें नाचने-गाने और बाजे बजाने में महारत हो। इसी वजह से बहुत से घरानों में लड़कियों को गाना-बजाना सिखाया जाने लगा है और कुछ स्कूल भी इस गुनाहगारी के सिखाने के लिए खोल दिए गए हैं। काफ़िर तो काफ़िर हैं, उनसे क्या शिकवा? मुसलमान भी इन करतूतों को अपनी ज़िंदगी में दाख़िल करते चले जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्नाइलैहि राजिऊन० اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ط

थिएटर और सिनेमा

बेहयाई और बे-ग़ैरती के ट्रेनिंग स्कूल यानी थिएटर और

सिनेमा देखने वाले इतने बढ़ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं कि उनको देखने के लिए लम्बी-लम्बी लाइनें लगी रहती हैं। मर्द व औरत छोटे-बड़े सभी इस बड़े गुनाह को करते हैं। कुछ लोग पूरे ख़ानदान को साथ ले जाकर इन लानत घरों में फ़िल्में दिखाते हैं। इसमें दौलत तो बर्बाद होती ही है, शराफ़त, इंसानियत, हया शर्म का भी ख़ून होता है। बेहयाई और बेग़ैरती और बद किरदारी का अमली सबक़ सीख कर आते हैं। आए दिन ऐसे वाक़िए सुनते और अख़बारों में पढ़ते रहते हैं कि फ़लां जगह ऐसा गन्दा वाक़िआ पेश आया और फ़लां सिनेमा के दरवाज़े से फ़लां की लड़की ग़ायब हो गई और ऐसा क्यों न हो जबकि सिनेमा का परदा उनको यही सिखाता है।

इन खेलों और फ़िल्मों में हर ऐसी बात सामने आ जाती है जो बेहयाई और गुनाहगारी के पूरे तरीक़े सिखा देती है और जिसे बाज़ार और घर में रज़ील से रज़ील आदमी भी बरदाश्त नहीं कर सकता। सख़्त हैरत है कि जो चीज़ें घर और बाज़ार में शर्म की समझी जाती हैं, सिनेमाहाल में कैसे शराफ़त बन जाती हैं, जो लोग अपने को ऊंचे ख़ानदान वाला समझते हैं, वे भी अपनी बहू-बेटियों को साथ लेकर सिनेमाहाल में नामुनासिब और बेशर्मी की हरकतें दिखाते हैं।

माल व ज़र का लालच और शोहरत और नामवरी की हवस में शरीफ़ज़ादियां ख़ानदानी इज़्ज़त को ख़ाक में मिलाकर स्टेज पर आ रही हैं। कम्पनी के दलाल बहला-फुसला कर उन्हें तबाह व बर्बाद करते हैं। जब कोई लड़की एक्ट्रेस हो जाती है तो पोस्टरों

और अख़बारों में उसकी तस्वीरें छपती हैं। उसकी तारीफ़ें किताबों और रिसालों में लिखी जाती हैं। इससे उसका दिल और बढ़ता है और बेहयाई के दर्जे और ज़्यादा तै करती चली जाती है गोया बेइज़्ज़ती और बे-ग़ैरती की ज़िंदगी भी कोई बड़ा कारनामा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह اَلْعِيَاذُ بِاللّٰہِ !

अब हम एक हदीस लिखकर इस मज़्मून को ख़त्म करते हैं और तमाम मुसलमानों से दर्ख़्वास्त है कि सिनेमा और थिएटर से ख़ुद भी परहेज़ करें और अपनी औलाद और बहू-बेटियों को भी बचाएं। बच्चे और बच्चियां कितना ही इसरार करें, हरगिज़ उनको सिनेमा और थिएटर देखने के लिए पैसे न दें। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि बेशक हया और ईमान एक साथ होते हैं। जब एक रुख़्सत होता है, तो दूसरा भी चल देता है।

फ़िज़ूलख़र्ची

फ़िज़ूलख़र्ची बड़ी बुरी बात है। अल्लाह ने क़ुरआन शरीफ़ में फ़रमाया है कि बेशक फ़िज़ूलख़र्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। ग़ैर-क़ौमों की देखा-देखी मुसलमानों ने भी ज़्यादा ख़र्च करने को कमाल समझा है और आमदनी कम होती है और ख़र्च ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, इसलिए परेशान ही रहते हैं। सादा कपड़ा, सादा घर, सादा शादी, मामूली खाना अब ऐब समझे जाने लगे हैं, हालांकि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुनिया की लज़्ज़तों में पड़ने और दुनिया का साज़ व सामान

बढ़ाने और वाक़ई जरूरत से ज़्यादा मकान बनाने से मना किया है। दुनिया मुसलमान का सफ़र है और असली वतन आख़िरत यानी जन्नत है। जहां थोड़ी-सी मुद्दत तक रहना है वहां की जीनत और टीप-टाप में वक़्त और पैसा लगाकर ज़ाया करना समझदारी की बात नहीं है। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी बीवी हज़रत आइशा रज़ि० से फ़रमाया कि ऐ आइशा! अगर तू (आख़िरत में) मुझसे मिलना चाहती है तो बस तुझे इतनी दुनिया काफ़ी होनी चाहिए जितना सामान मुसाफ़िर साथ लेकर चलता है और दौलत वालों के पास बैठने से परहेज कर और किसी कपड़े को पुराना मत समझ, जब तक तू उसे पैवन्द लगाकर न पहन लेवे।

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक सहाबी का ऊंचा सा बनाया हुआ मकान देखा, फिर वह जब ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने उनकी तरफ़ तवज्जोह न फ़रमाई और मुंह फेर लिया और एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक चटाई पर सो गए। सो कर उठे तो जिस्म शरीफ़ पर चटाई की बनावट के निशान पड़ गए थे। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह था, उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल०! आप हुक्म फ़रमा दें तो हम आपके लिए अच्छा बिछौना बिछा दिया करें और अच्छी-अच्छी चीज़ें हासिल करके आपके लिए लाया करें। आपने यह सुनकर फ़रमाया, मुझको दुनिया से क्या ताल्लुक़? मेरा दुनिया से बस ऐसा ही वास्ता है जैसे कोई मुसाफ़िर पेड़ के नीचे साया लेने के लिए बैठ गया और

फिर उसे छोड़कर चल दिया। मुसलमान को हर हाल और हर काम में अपने प्यारे नबी सल्ल० की पैरवी करना लाज़िम है। आजकल के मुसलमान और ख़ास कर नवजवान लड़कों और लड़कियों ने ग़ैर-क़ौमों को देखकर ऐसे-ऐसे ख़र्च बढ़ा लिए हैं कि न वे ज़रूरी ख़र्च हैं, न उन पर ज़िंदगी टिकी हुई है। फ़ैशन की बला ऐसी सवार हुई है और ज़ाहिरी टीप-टाप इतनी बढ़ा रखी है कि जितनी भी आमदनी हो, सब कम पड़ जाती है और क़र्ज़ पर क़र्ज़ चढ़ता चला जाता है।

एक सहाबी थे हज़रत मुआज़ रज़ि०, उन्होंने एक बार अपने साथियों से फ़रमाया कि तुम तक्लीफ़ों के ज़रिए जांच में डाले गए तो तुमने सब्र कर लिया। बहुत माल के ज़रिए तुम्हारी जांच की जाएगी और मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्हारे बारे में यह है कि औरतों के फ़ित्ने में डाल दिए जाओगे, जबकि औरतें सोने-चांदी के कंगन पहनेंगी और शाम व यमन के बारीक और उम्दा कपड़े पहनेंगीं। (ये चीज़ें मुहय्या करने के लिए) मालदार को थका देंगी और मुफ़्लिस से वह मांगेगी जो उससे न हो सकेगा।

—हुलीयतुल औलिया

सफ़ाई-सुथराई तो अच्छी चीज़ है मगर लिबास और फ़ैशन की दूसरी बेजा ज़रूरतें जो यूरोप वालों ने निकाल दी है, मुसलमानों के लिए किसी तरह भी उनके हासिल करने के ख़्याल में पड़ना और उनको इस्तेमाल करना ठीक नहीं, यह बड़ी नासमझी है कि अंग्रेज़ों की नक़ल उतारने की कोशिश करते हैं मगर उनकी और अपनी आमदनी का मुक़ाबला करके नहीं देखते। जो रुपया कमाते

हैं, जिस्म की ख़िदमत और ज़ाहिरी टीप-टाप में लगा देते हैं। देखने में ख़ुशहाल और दिल परेशान, आमदनी माक़ूल, मगर गुज़ारा मुश्किल, इत्मीनान और बे-फ़िक्री का नाम नहीं, मुहब्बत के जोश में बच्चों की परवरिश शुरू से ही ऐसे ऊंचे पैमाने पर करते हैं कि बाद में उनकी कमाई उन ख़र्चों को बरदाश्त नहीं कर सकती है, जो कुछ पास होता है, बच्चे के फ़ैशन पर ख़र्च कर देते हैं। जब बेचारा कुछ लिख-पढ़ कर मुलाज़िम होता है या कारोबार शुरू करता है, तो परेशान हो जाता है। बाल-बच्चों का ख़र्च, मां-बाप की ख़िदमत, अपनी पोज़ीशन और सोसाइटी का ख़्याल, एक जान को हज़ार मुसीबतें लगी होती हैं, ग़रज़ यह कि पूरी ख़ानादारी का बोझ उठाना वबाले जान होता है।

लड़कियों को फ़ैशन का इतना शौक़ीन बना दिया जाता है कि बचपन ही से उसको इतने ज़्यादा ख़र्चों के आदी बना देते हैं कि शादी के बाद शौहर पर बोझ हो जाती हैं। ख़ाविंद की सारी आमदनी, फ़ैशन, लिबास और ज़ेवर की भेंट चढ़ जाती है, लाचार, नाइत्तिफ़ाक़ी और बदमज़गी ज़ाहिर होने लगती है और ज़्यादा बनाव-सिंगार की आदत डालने से क़ुरआन पाक की तिलावत, दरूद व इस्तग़फ़ार, दीनी मालूमात में लगने की फ़ुर्सत भी नहीं मिलती, फिर असल सजावट तो बातिन यानी दिल और रूह की सजावट और पाकीज़गी है। जिस्म व लिबास की उम्दगी भी उसी वक़्त अच्छी मालूम होती है जब दिल सुथरा, अख़्लाक़ अच्छे, आदतें पाकीज़ा हों, अख़्लाक़ गन्दा और ज़ाहिर अच्छा, उसकी ऐसी ही मिसाल है जैसे गन्दगी को रेशम में लपेट कर रख दिया जाए।

हासिल यह कि मुसलमानों को सादा ज़िंदगी की तरफ़ मुतवज्जह करना चाहिए, जिसकी इस्लाम ने तालीम दी है और जिस पर चलकर तमाम़ छोटे-बड़े, अमीर-ग़रीब दुनिया में आराम से रह सकते हैं। शादी-ब्याह के मौक़ों पर इस क़दर फ़िज़ूलख़र्चियां की जाती हैं और काफ़िरों की देखा-देखी ऐसी-ऐसी रस्में बरती जाती हैं कि शादी करना वबाल बन गया है। फ़िज़ूलख़र्ची और रस्में बरतने के लिए रुपया न होने की वजह से वर्षों लड़कियां बैठी रह जाती हैं। अस्तग़्फ़िरुल्लाह! हज़ारों रुपए मह्र में मुक़र्रर किए जाते हैं, दिखावे के लिए जहेज़ तैयार करने के वास्ते सूदी उधार क़र्ज़ करना पड़ता है जो वर्षों अदा नहीं होता।

ऐ मुसलमानो! सादगी अख़्तियार करो, ब्याह-शादी के मौक़े पर हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके घर वालों की पैरवी करो। हमारी लिखी हुई दो किताबें 'उम्मते मुस्लिमा की माएं' और 'रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की साहबज़ादियां' पढ़ो, जिनसे उनकी सादगी और ब्याह, शादी के हालात मालूम होंगे।

बीसवां सबक़

नेकियों का फैलाना और गुनाहों से रोकना

अल्लाह तआला ने अपने बन्दों को बहुत से कामों के करने का हुक्म दिया है और बहुत से कामों से मना किया है। आदमी का नफ़्स बड़ा शरीर है। कुछ तो नफ़्स की शरारत और कुछ शैतान का बहकावा, दोनों चीज़ें मिलकर इंसान को ख़ुदा की फ़रमांबरदारी से हटा देती हैं, यानी जो काम करने के हैं उनको आदमी नहीं करता और जिन कामों से मना किया गया है, उनको करता है। अल्लाह ने गुनाहों की रोकथाम और नेकियों के रिवाज देने का काम सब मुसलमानों के ज़िम्मे फ़रमा दिया है। चौथे पारे की एक आयत में नेकियों के करने और बुराइयों से रोकने को इस उम्मत का ख़ास काम बताया है, जिस तरह ख़ुद नेक बनना और अल्लाह के हुक्मों पर चलना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह दूसरों को भी अल्लाह के हुक्मों पर चलाने की ज़िम्मेदारी सब मुसलमानों के ज़िम्मे है।

हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि तुममें से जो कोई किसी बुरे काम को देखे तो उसको अपने हाथ से बदल डाले। अगर यह न हो सके तो अपनी ज़ुबान से बदल डाले। अगर यह भी न हो सके तो अपने दिल से बदल देवे और यह ईमान का कमज़ोर दर्जा है यानी हो सके तो हाथ

से उस बुराई को रोक दे और यह न हो सके तो ज़ुबान से रोक दे, डांट दे और यह भी न हो सके तो कम से कम दिल से बुरा समझे। आजकल यह बहुत बुरी वबा फैल गई है कि लोग गुनाह करते हैं और गुनाह को जायज़ और अच्छा काम समझते हैं और समझाने वालों से कहते हैं कि साहब! आप तो तरक़्क़ी से रोकते हैं। भला ख़ुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ करने से तरक़्क़ी कैसे हो सकती है?

बहुत से मर्द और औरत ख़ुद तो नमाज़ी हैं, मगर अपने अज़ीज़ों, बच्चों, नौकरों, मुहल्ले वालों को शरीअत के ख़िलाफ़ चलते देखते हैं, मगर ज़रा भी ज़ुबान नहीं हिलाते, फिर मुसीबत आती है, तो बलबलाते हैं ख़ूब जानते हैं कि बेटा शतरंज का शौक़ीन है, ताश खेलता है, नमाज़ें ग़ारत करता है, मगर कभी हर्फ़े ग़लत की तरह यह नहीं कहते कि बेटा! क्या कर रहे हो? ये मुसलमानों के काम नहीं हैं। अपने बेटे से इसलिए नाराज़ रहने वाले बहुत हैं कि वह दुकान पर काम मेहनत से नहीं करता या मुलाज़मत की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर औलाद बद-अमल, फ़ासिक़ और गुनाहगार, नमाज़ क़ज़ा करने वाली है तो इस वजह से नाराज़गी अख़्तियार करने का रिवाज नहीं है। अपने अज़ीज़, रिश्तेदार, पास-पड़ोस के मर्द व औरत बे-अमल हैं, नमाज़ ग़ारत करते हैं, रोज़ा नहीं रखते, सूदख़ोर हैं, रिश्वत लेते हैं या और कोई काम शरीअत के ख़िलाफ़ करते हैं, मगर हम उनको टोकने में झिझकते हैं और मुरव्वत और लिहाज़ में उनको गुनाह से नहीं रोकते। यह बहुत सख़्त वबाल की बात है। जब बुराइयां आम

हो जाती हैं और नेक लोग अपनी नेकी के लिए बैठे रहते हैं और यह कोशिश नहीं करते कि गुनाह बन्द हों, तो नेक व बद सब पर अज़ाब आ जाता है और दुआ क़ुबूल नहीं होती है।

हदीस शरीफ़ में है कि हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी पहले ज़माने की उम्मत का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़्लां शहर को मय उसके रहने वालों के उलट दो, यानी ज़मीन के ऊपर के हिस्से को नीचे और नीचे के हिस्से को ऊपर कर दो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार! इसमें शक नहीं कि इनमें तेरा एक ऐसा बन्दा भी है जिसने पल पर भी आपकी नाफ़रमानी नहीं की है। (इसकी तो जान बख़्शी की जाए) अल्लाह ने फ़रमाया कि उसको भी उसी सज़ा में शामिल करो, क्योंकि कभी भी मेरे हुक्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी देखकर नाराज़गी के तौर पर उसके चेहरे पर बल नहीं पड़ा। देखो, यह आदमी बहुत नेक था, मगर चूंकि बुराइयों से दूसरों को रोकता न था और गुनाहों को देखकर नाराज़गी ज़ाहिर न करता था, इसलिए अज़ाब में पकड़ा गया। (अआज़नल्लाहु मिन्हु)

जब अल्लाह तआला की नाफ़रमानियां होती हों और उनसे रोका न जाता हो तो अल्लाह की तरफ़ से सब पर अज़ाब आ जाता है। हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिन लोगों में एक आदमी भी ऐसा हो जो उनमें रहता-सहता हो और गुनाह करता हो और वे लोग गुनाह से हटाकर सही रास्ते पर डालने की ताक़त होते हुए उसको सही

रास्ते पर न डालें तो उनके मरने से पहले अल्लाह ज़रूर अपना अज़ाब भेजेंगे।

एक बार हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के बाद लोगों से फ़रमाया कि यक़ीन जानो, अल्लाह फ़रमाते हैं कि नेकियों के लिए कहते रहो और बुराइयों से रोकते रहो, उस वक़्त से पहले, जबकि मुझसे दुआ करोगे तो क़ुबूल न करूंगा और मुझसे सवाल करोगे तो सवाल न पूरा करूंगा और मुझसे मदद चाहोगे तो तुम्हारी मदद न करूंगा, यानी नेकियों के लिए कहना और बुराइयों से रोकना ऐसा अमल है कि अगर उसको छोड़ोगे तो अज़ाब आ जाएगा और उस वक़्त दुआ क़ुबूल न होगी और अल्लाह की तरफ़ से मदद न की जाएगी और सवाल पूरा न किया जाएगा।

इन बातों को ख़ूब समझ लो और सबको समझाओ, जहां तक हो सके, अपनों को और ग़ैरों को ख़ास कर, जिन पर तुम्हारा ज़ोर है जैसे नौकर हैं या औलाद हैं, सबको ख़ुदा के रास्ते पर अपनी ताक़त से चलाओ, गुनाहों से रोको और नेकियों के रास्ते पर डालो।

अमल के लिए मुख़्तसर याददाश्त

अब हम किताब ख़त्म करते हैं, इसको बार-बार पढ़ो। मिलने वालियों, सहेलियों, पड़ोसिनों को सुनाओ और अमल कराओ। आख़िर में हर वक़्त, देखकर याद करने के लिए याददाश्त के तौर पर बीस नम्बर लिखे देते हैं—

1. कलिमा तैयिबा का लफ़्ज़ और मानी और मतलब सही याद करो और उसके मुतालबे पूरे करो।

2. नमाज़ की पाबन्दी करो, दिल लगाकर पढ़ो, रुकूअ-सज्दा ठीक अदा करो। जो कुछ नमाज़ में पढ़ा जाता है, ठीक याद करो, नफ़्ल नमाज़ भी पढ़ा करो।

3. सबक़ न० 3 देखो, उसमें जो तफ़्सील लिखी है, उसके मुताबिक़ अगर तुम पर ज़कात फ़र्ज़ हो, तो पाबन्दी से अदा करो।

4. सबक़ न० 4 देखो। अगर तुम पर हज फ़र्ज़ है तो इसी साल अदा करो और आगे फ़र्ज़ हो जाए तो उस वक़्त उसी साल अदा कर लेना।

5. रमज़ान शरीफ़ के रोज़े पाबन्दी से रखो। कभी नफ़्ल रोज़ा भी रख लिया करो। सबक़ न० 5 में नफ़्ल रोज़ों की तफ़्सील और सवाब लिखा है। रमज़ान शरीफ़ में ख़ूब सख़ावत करो, रोज़े इफ़्तार कराओ, रात को तरावीह पढ़ो, नौकरों का काम हल्का करो, ग़रीबों की मदद करो।

6. दीन के हुक्मों और तरीक़ों को सीखो। सीखने-सिखाने

के जो तरीक़े (ज़ुबानी तालीम और किताबी तालीम) सबक़ न० 6 में लिख दिए हैं उनको अख़्तियार करो। किताबों के नाम वहां लिख दिए हैं, उनको मंगाकर पढ़ो। अपने मर्दों से कहकर कभी भी ऐसे दीनदार परहेज़गार आलिमों का वाज़ सुन लिया करो जो वाज़ कहकर नज़राना लेने के उम्मीदवार न हों।

7. अपने बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाओ, दीन के कामों पर डालो, अच्छे अख़्लाक़ सिखाओ, नमाज़-रोज़े का पाबन्द बनाओ, हराम रोज़ी कमाने से बचाओ। उनको अच्छे अख़्लाक़, शर्म, हया, अमानत, तवाज़ो सिखाओ, जब सात वर्ष के हों तो नमाज़ पढ़ने को कहो और जब दस वर्ष के हो जाएं तो नमाज़ न पढ़ने पर सज़ा दो।

8. जहां तक हो सके, हर वक़्त अल्लाह की याद में लगी रहो, कम से कम सुबह-शाम सौ-सौ बार तीसरा कलिमा, दरूद शरीफ़, इस्तग़्फ़ार पढ़ लिया करो। रोज़ाना क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत करो, सुबह को सूरः यासीन शरीफ़ पढ़ो। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी, चारों क़ुल, सुब्हानल्लाह 33 बार, अलहम्दु लिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अक्बर 34 बार पढ़ा करो। सोते वक़्त आयतुल कुर्सी, अलहम्दु शरीफ़, सुब्हानल्लाह, अलहम्दु लिल्लाह 33-33 बार और अल्लाहु अक्बर 34 बार पढ़ो, रोज़ाना क़ुरआन शरीफ़ एक या दो पारा ज़रूर पढ़ लिया करो।

9. बन्दों के हक़ों का ख़ास ख़्याल रखो, किसी का कोई हक़ अपने ज़िम्मे न रखो, किसी को आगे-पीछे बुरा न कहो, न गाली दो, न ताना दो, न लानत करो और सबको राहत पहुंचाओ।

10. मां-बाप को न सताओ, हर मुम्किन उनकी ख़िदमत करो, उम्र भर उनकी राहत का ख़्याल रखो।

11. पड़ोसी को न सताओ, उसको हदिया लिया-दिया करो। उसके बच्चों के साथ प्यार व मुहब्बत का बर्ताव करो।

12. शौहर को राज़ी रखो, उसकी नाशुक्री न करो, उसको रंज न पहुंचाओ। जो काम शरीअत के ख़िलाफ़ न हो, उसमें उसकी फ़रमांबरदारी ज़रूर करो।

13. हर काम ख़ुदा को राज़ी करने के लिए करो, ख़ास कर नमाज़, रोज़ा, ख़ैर-ख़ैरात करने में रिया, नमूद, शेख़ी से बचो, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी रखने के लिए अमल करो।

14. ज़ुबान की हिफ़ाज़त करो। बेकार बातों से और तुझ-मुझ की बुराई से और लानत और फिटकार और गाली-गलौज से ज़ुबान को पाक रखो।

15. हलाल खाओ, हलाल पहनो, शौहर को और सब अज़ीज़ों को हराम कमाई से बचाओ। हराम कमाई से जो कुछ ला कर दें, तो हरगिज़ पास न रखो, न खाओ, न इस्तेमाल करो।

16. लिबास में सादगी अख़्तियार करो, बारीक कपड़े या ऐसा लिबास जो काफ़िर औरतों का हो, या मरदाना क़िस्म का हो, मत पहनो। ज़्यादा ज़ेवर की फ़िक्र में मत पड़ो। लिबास और ज़ेवर शेख़ी के लिए न पहनो।

17. परदे का ख़्याल रखो, तमाम नामहरमों, मामूं, फूफी, चचा और ख़ाला के बेटों और ससुराल के मर्दों से गहरा परदा करो, ख़ुद भी मर्दों को न देखो, जहां तक हो सके, घर से बाहर

न निकलो। अगर किसी ज़रूरत से बाहर जाना हो तो बुर्क़ा ओढ़ कर निकलो। बुर्क़े पर बेल-बूटे न बनाओ, चेहरे से निक़ाब हटा कर न चलो।

18. माल फ़िज़ूल न उड़ाओ, आमदनी से ज़्यादा ख़र्च न बढ़ाओ, सिनेमा-थिएटर न देखो, न बच्चों को और न बच्चियों को दिखलाओ। नाविल, अफ़साने, ग्रामोफ़ोन, गुड़िया, मूर्ति, फ़ोटो घर में न आने दो। शतरंज, ताश, गंजफ़ा, बच्चों और बच्चियों को न रखने दो, न उन चीज़ों के लिए पैसा दो।

19. जो दुआएं हर वक़्त की हदीसों में आई हैं, उनको याद करो और हर मौक़े पर पढ़ा करो। बच्चों को भी याद कराओ। सुबह-शाम सोने-जागने, खाने-पीने और हर मौक़े की दुआएं किताब 'मसनून दुआएं' मंगा कर याद करो।

20. बच्चों, बच्चियों, पास-पड़ोस की रहने वालियों, सहेलियों को गुनाहों से बचाओ। दीन के हुक्मों पर चलाओ, शरीअत के ख़िलाफ़ कामों से रोको, किसी के सामने दीन की बात कहने से मत झिझको।

दो बातें बहुत काम की

तौबा

गुनाहों से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और गुनाहों की वजह से उसके दिल में खोट पैदा हो जाता है और दिल पर स्याही आ जाती है। दुनिया में भी गुनाहों की वजह से इंसान को मुसीबतें घेर लेती हैं और आख़िरत में गुनाहों पर सज़ा और अज़ाब दिए जाने की धमकियां हदीसों में आई हैं, इन बातों को जान-बूझ कर भी अक्सर आदमी गुनाह कर बैठते हैं। गुनाहों की माफ़ी तौबा से हो जाती है।

ज़ुबान से तौबा-तौबा कहने से तौबा नहीं होती है, बल्कि तौबा की हक़ीक़त यह है कि गुनाहों पर शर्मिन्दगी हो, ख़ुदा के हुज़ूर में माफ़ी मांगे और ख़ुदा की बड़ाई का ख़्याल करके गुनाह पर शर्मिन्दा हो और आगे के लिए गुनाहों से बचने का मज़बूत इरादा करे और उसके साथ यह भी ज़रूरी है कि ख़ुदा के हक़ जितने ज़ाया हुए हों, उन सबको अदा करे, जैसे जवान होने के बाद से जितनी नमाज़ें छोड़ी हों, हिसाब लगाकर उन सबको दोहरावे, अगरचे बीस वर्ष की नमाज़ें क़ज़ा की हों। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा पिछली नमाज़ें दोहराना शुरू कर दी जाएं। इस तरह अदा करते-करते अगर मौत आ गई तो उम्मीद है कि पशेमानी की वजह से अल्लाह माफ़ फ़रमा देगा।

इसी तरह ज़कात का हिसाब लगावे और जितने वर्षों की ज़कात अदा न की हो, सबको अदा करे और जवान होने के बाद

जो फ़र्ज़ रोज़े क़ज़ा हो गए हों, उनको भी अदा कर दे।

इसी तरह बन्दों के हक़ों को सोचे और ख़ूब ग़ौर करे कि मुझ पर किस-किस का क्या-क्या हक़ है? किसकी ग़ीबत की है और किसकी बे-आबरूई की है या कभी किसी की कुछ माली ख़ियानत की थी या किसी का हम पर कुछ चाहिए था और उसको याद नहीं रहा, मगर हमको याद है। ग़रज़ यह कि ऐसी बातों को ख़ूब सोच-समझ कर फ़ेहरिस्त बना लेवे और माली हक़ को अदा कर देवे और ग़ीबत करने या गाली देने और बेआबरूई करने की माफ़ी मांग लेवे या बदला दे देवे। ऐसा करने से सच्ची और पक्की तौबा होगी। अगर कोई अपनी बस्ती और शहर में नहीं है तो डाक के ज़रिए या आदमी के ज़रिए उसका हक़ अदा कराओ और माफ़ी मांगो।

रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद दो रक्अत नमाज़ नफ़्ल पढ़कर अल्लाह तआला से ख़ूब गुनाहों की माफ़ी मांगने और गुनाहों पर शर्मिन्दा होकर ख़ूब रोने और आंसू बहाने की पाबन्दी कर लो। अगर गुनाहों से बचने का रोज़ाना इसी तरह पक्का अह्द कर लिया करो तो दो जहां में सुर्ख़रूई और कामियाबी होगी, यह बहुत आसान काम है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ दें और अपने महबूब हज़रत रसूले मक़्बूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े पर चलावें। आमीन०

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥

ISBN 81-7101-481-X

ISBN 81-7101-212-4

ISBN 81-7101-213-2

ISBN 81-7101-385-6

ISBN 81-7101-479-8

ISBN 81-7101-368-6

ISBN 81-7101-555-7

ISBN 81-7101-474-7

ISBN 81-7101-506-9

हमारी माएं और बेटियाँ हमारी इंसानी आवादी का आधा हिस्सा हैं लेकिन हमारी ज़िन्दगी पर असर डालने के लिहाज़ से अगर ग़ौर किया जाए तो उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है, इंसानी नस्ल उन्हीं की गोद में पलती है और हम सबका सबसे पहला मदरसा और स्कूल माँ की गोद ही होती है।

इस लिहाज़ से मर्दों की तालीम व तर्बियत की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत हमारी इन माओं बहनों की तालीम व तर्बियत की है, जबकि हम देखते हैं कि उनको सामने रखकर बहुत कम किताबें लिखी गई हैं।

या किताब ख़ास तौर पर औरतों ही के लिए लिखी गई है और ज़बान भी उसी मुनासबत से बहुत आसान रखी गई है, यह किताब इस क़ाबिल है कि घरों के अन्दर औरतों और बच्चों के दर्मियान पढ़कर सुनाई जाए और उसके सबक़ बार-बार दोहराए जाएं।

ISBN 81-7101-423-2 www.idara.co
9788171014231 ₹ 35000